[Mr. Chairman]

House agrees, adjourn now and meet at 2.30 p.m. today and the Prime Minister may commence his reply at 4 O'clock.

SOME HON. MEMBERS: Thank you very much.

SHRI MIRZA IRSHADBAIG: I am personally thankful to the Chair.

MR. CHAIRMAN: Now, the House adjourns to "meet again at 2.30 P.M. today.

The House then adjourned for lunch at forty-one minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty-four minutes past two of the clock, The Vice-Chairman (Shri Jagesh Desai) in the Chair.

RESOLUTION RE: CONSTITUTING A COMMITTEE TO EXAMINE THE QUESTION OF TELECAST OF PARLIAMENT PROCEEDINGS

डा॰ बापू कालदाते (महाराष्ट्र) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं निम्नलिखित संकल्प उपस्थित करता हूं:

"कि संसद की कार्यवाही को टेलीविजन पर दिखाने की मांग बढ़ रही है, यह आवश्यक है कि टेलिविजन के लोकप्रिय माध्यम के द्वारा जनता में जनमत तैयार करने के लिए संसद की कार्यवाही को उन तक पहुंचाया जाये,.....

देश में संसदीय लोकतंत्र के हित में यह आवश्यक है कि जनता संसद की रोजमर्रा की कार्यवाही तथा उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों की संसद में निभाई गई भूमिका और उनके कार्यकरण के बारे में अवगत हो जिससे देश में संसदीय संस्था के प्रति आदर तथा सम्मान की भावना उत्पन्न होगी। ब्रिटिश हाउस आफ कामन्स सहित विश्व के अनेक प्रमुख देशों की संसदों ने अपनी अपनी कार्यवाही को टेलीविजन पर दिखलाना प्रारंभ कर दिया है, और संसद के केन्द्रीय कक्ष से राष्ट्रपति के अभिभाषण को सीधे टेलिविजन पर दिखला कर एक स्वागत योग्य और अभिनंदनीय शुरूआत की गई है, इस सभा की सम्मति है कि सरकार को संसद की कार्यवाही को टेलिविजन पर दिखलाने के संबंध में सभी पक्षों की, गहन जांच करने के लिए एक समिति का गठन करना चाहिए जिसमें संसद की दोनों सभाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य, प्रेस तथा इलेक्ट्रानिक मीडियम के प्रतिनिधि तथा अन्य विशेषज्ञ शामिल किए जाएं और जो संसद के विचारार्थ उसे अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): This will go up to 4.00 O'clock. If you are all interested that the Minister should intervene, then I think the discussion should finish at 3.45. It can be done if the House so wishes.

DR. BAPU KALDATE: No problem.

उपसभाध्यक्ष जी, जो भावना मेरे परम मित्र आदरणीय हनुमनतप्पा जी और स्वामी जी ने दिखाई है उससे मैं बहुत सहमत हूं। मैं बहुत ही संक्षेप में कहूंगा। इस बात में मैं भी आपके साथ हूं कि मैं जानता हूं कि अगर आज यह हाउस में नहीं होगा तो लेप्स हो जाएगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि बहुत ही संक्षेप में कहूं ताकि जो सम्मानीय सदस्य यहां पर बैठे हुए हैं इस पर थोड़ा थोड़ा कह सकें और मंत्री महोदय भी अपना रिएक्शन और उनकी जो भावना है, वह सदन के सामने प्रस्तुत कर सकें।

महोदय, एक बात साफ है कि जब हम खुले समाज की कल्पना करते हैं तो जनता को यह अधिकार होना चाहिए कि उसको जानकारी मिले। जनता का यह अधिकार निहित है कि जनता के सामने खुले तौर पर राज्य का जो कार्यभार है या देश का कोई भी कार्यभार हो उसकी उसको जानकारी मिलनी चाहिए। इस सरकार की नीति भी यही है और यह बहुत अच्छी बात है। उसने पहली बार संसद के सामने राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण हुआ उसको लाइव टेलीकास्ट टेलिविजन पर दिखाया। इसी को आगे ले जाने के लिए मैं सरकार से प्रार्थना कर रहा हूं। मुझे लगता है कि यह सरकार इसके लिए अभिनंदन की पात्र है। जैसा मैंने अपने प्रस्ताव में कहा है, यह काम सरकार ने पहली बार किया है। जहां तक मेरी जानकारी है और मेरे पास 80 देशों की जानकारी है जिन्होंने यह काम शुरू किया है। आज दुनिया के बहुत से देशों में कुछ हद तक या पूरे तौर पर यह टेलीकास्ट हो रहा है। जहां तक प्लेनरी सेशन का सवाल है, यह 25 देशों में टेलीकास्ट हो रहा है। सेलेक्टेड एक्सट्रेक्ट एण्ड समरीज 19 देशों में होती है। इम्पारटेन्ट सिटिंग्ज आनली, 14 देशों में होते हैं। यह 80

देशों का सर्वेक्षण किया गया था। मुझे यह भी पता लगा कि 22 देश ऐसे हैं जिनमें यह काम अभी फर्स्ट स्टेप की अवस्था में है। हर देश में इस मामले में कदम उठाये जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कारण यह है और मैं भी इसको मानता आया हूं कि जिन सिद्धान्तों को लेकर हम सियासत में आये हैं वे सिद्धान्त हमें बता रहे हैं कि जब तक समाज खुला नहीं रहेगा तब तक सही लोकतंत्र भी प्रस्थापित नहीं हो पाएगा।

लोकतंत्र की बुनियाद ही खुली व्यवस्था है। जहां बंद व्यवस्थायें होती हैं वह अलोकतांत्रिक हो जाता है, वह हुकुमशाही या तानाशाही जिसको कहते हैं व्यवस्था हो जाती है। आज यहां पर जो प्रश्न उठ रहा है, हम यह भी देख रहे हैं कि एक नई लहर पूर्वी यूरोपीय देशों में आ रही है। यहां पर लोग एक खुली व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। दबाने के कारण कई बातें छुप जाती हैं और इससे कई अन्याय हो सकते हैं, कई खामियां उस व्यवस्था में हो सकती हैं। आज दुनिया एक नई क्रांति की तरफ भी जा रही है। हमें खुशी है कि नई सरकार ने स्वयं अपनी जो विशेष बातें कही हैं उसमें राइट टु इन्फर्मेशन की बात भी कही गई है। जब सरकार खुले समाज और खुली सरकार की बात करती है तो मुझे लगता है कि सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं यह भी बात कहता हूं हमारे देश में टेलीविजन का प्रसारण बहुत दूर तक पहुंच भी चुका है। एक बात यह भी है कि भले ही टेलीविजन अधिकांश जगहों पर पहुंच गया हो लेकिन अब भी हमारे सामने साक्षरता का सवाल है। यहां निरक्षर लोगों का प्रतिशत बहुत अधिक है। अगर उनके पास यह जाय तो लोग सीधे जो यहां चल रहा है वह खुद सुन सकते हैं, देख सकते हैं और अपने स्वतः की मतों की प्रक्रिया जिसको इन्फर्मेशन फार्मेशन कहते हैं, वह सीधे अगर उनके पास जायेगा तो उनकी इन्फर्मेशन फार्मेशन की प्रक्रिया में सहजता आयेगी, एक वास्तविकता आयेगी। इसलिये मुझे लगता है कि यह एक आवश्यक बात हो गई है कि हम लोग इस दिशा में पहल करें और जल्दी से जल्दी पहल करें। मैंने इसमें इतना ही कहा है कि तुरन्त इन बातों को काम में लाने के लिए सरकार प्रतिनिधियों की एक समिति बनाये। मेरी सरकार से यह अपेक्षा है कि सरकार अगले बजट सेशन से पहले इस दिशा में कुछ न कुछ निश्चित पहल करे। जहां तक दुनिया के देशों का सवाल है, हम बार बार कहते हैं कि इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट है वह हमारे लिये माताश्री जैसी मदर पार्लियामेंट है, माताश्री संसद है। यहां पर इस बारे में काफी पहल हो गई है। सबसे पहले किंग का भाषण 1923 में ब्राडकास्ट हुआ। उस समय टेलीविजन का कोई सवाल नहीं था। लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1966 में यह बात बहुत जोरों से उभर कर आई। उन्होंने इसके लिए एक कमेटी बनाई। उन्होंने लोगों की राय ली। जब उन्होंने यह पता लगा लिया कि बहुतांश लोग यह चाहते हैं कि संसद की कार्यवाही का प्रत्यक्ष रूप से दृष्टावलोकन उनको हो जाय। लोगों से जब यह मांग हुई तो 1967 से एक्सपेरीमेंट किये गये। कुछ दिन पहले 1966 में इंग्लैंड में इसके बारे में कई प्रयोग किये गये। लेकिन वहां की संसद ने इसको बार बार, जहां तक वहां की संसद का सवाल है हम जानते हैं कि ब्रिटिश संसद इतनी जल्दी नये मसलों को स्वीकार नहीं करती है। उसके बारे में बहुत गहराई से विचार करती रहती है। 1966 से लेकर मसला उठता रहा लेकिन उसके बारे में कोई अमल नहीं हो पाया। अब हाल ही में आपने देखा होगा कि 1985 में हाउस आफ लार्ड्स का जो कामकाज है वह 1985 से टेलीकास्ट होने लगा और अभी नवंबर 1989 से वहां के हाउस आफ कामंस जिसको लोकसभा कह सकते हैं उसका भी टेलीकास्ट वहां से होने लगा है। इसकी क्लिपिंग मेरे पास है। उसमें यह लिखा गया है कि:

> "This is for the first time that the TV cameras have been allowed in the House. Though the House of Lords has permitted them in 1985, the House of Commons has allowed the TV camera on an experimental basis for a period of one year. The House Committee has laid down the list of do's and don'ts for the TV producer."

इसमें कई सवाल उठते हैं। लोग इसके बारे में जो कुछ आशंकायें व्यक्त करते हैं उनके मन में दो-तीन सवाल हैं। उनमें एक सवाल सदन की गरिमा का है। हमारा जो सदन है वहां कई बार इस तरह की बातें हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिये। कभी कभी तीव्रता के कारण हम लोग गुस्से में आकर जो नहीं होना चाहिये ऐसी बातें भी हम लोगों से हो जाती हैं। अब सवाल यह उठता है कि अगर यह सब दिखायेंगे तो सदन की प्रतिमा और छवि लोगों के मन में किस तरह की बनेगी यह सबसे बड़ा सवाल है। यह सब से बड़ा सवाल है। मैं यह मानता हूं कि हम लोग जिस ढंग से सोचते हैं आम तौर पर इस ढंग से कोई सम्मानित सदस्य यह नहीं चाहता है कि सदन की प्रतिमा को हम गिराएं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है। मुझे लगता है कि इसके बारे

[डा॰ बापू कालदाते]

में एक कमेटी होगी वह इसके बारे में सोच सकेगी कि हम लोग आपस में व्यवहार करते समय टेलिकास्ट के समय इस प्रतिमा को कायम रखने के लिए क्या उपाय ढूंढ सकते हैं। दूसरा यह भी हो सकता है कि जैसे कि कहा जाता है प्लेइंग टू दी गेलेरीज़ यानी हमारे अखबारनवीस जो यहां बैठे हैं कुछ यहां से चला जाए ताकि अखबार में आ जाए। खुद के नाम पर नहीं शायद तीव्रता के कारण अगर किसी विषय की ओर मुझे सदन का ध्यान आकर्षित करना है लेकिन समय की कमी के कारण या सरकार की उपेक्षा के कारण जिन समस्याओं की तरफ मैं ध्यान खींचना चाहता हूँ वह नहीं आ सकती हैं तो कभी कभी सदस्य के मन में तीव्रता सी उठती है। इस्के किसी न किसी बहाने उठाने का कार्य भी टेलिकास्ट में चला जाएगा तो क्या होगा। तीसरा यह हो सकता है कि कभी कभी जिसको अनपार्लियामेंटरी कहते हैं यानी सदन में नहीं चलने वाले शब्द हैं उनका भी प्रयोग हो जाएगा जिनको कि हम रिकार्ड से निकाल देते हैं। मैं तो ऐसे शब्दों का कभी इस्तेमाल नहीं करूंगा। समझिये कि सारा टेलिकास्ट चलता रहेगा तो जो हाउस के रूल्ज़ एंड रेगुलेशंस हैं उनके प्रति क्या होगा। यह भी इससे सवाल जरूर पैदा होता है। कभी कभी यह भी हो सकता है, मन में यह आशंका आ जाती है बजाय सीरियस डिबेट के गम्भीरता से चलने वाले डिबेट के बजाय इसमें नाटकीयता का भी प्रयास होगा। यहां अभी तक सेंसर्ड मीडिया है और इस सम्बन्ध में एक विधेयक भी हमारे सामने आने वाला है उसी समय इस पर भी चर्चा चल रही है तो यह हो सकता है कि कभी कभी ड्रामेटाइज़ करने या नाटकीय बनाने का प्रयास भी होगा यह नाटकीय बनाने का प्रयास कभी कभी पार्टी की दृष्टि से कभी व्यक्ति की दृष्टि से उनको आवश्यक लगेगा तो मामले की गंभीरता को छोड़ कर यह ड्रामेटाइज़ वाला मामला ज्यादा आ सकेगा ऐसी भी आशंका लोगों के मन में है। इसको मैं स्वयं जानता हूँ लेकिन इसके लिए मुझे लगता है कि यह बातें हैं और इसी के लिए मैंने यह सुझाव दिया है कि इन बातों पर गहराई से विचार करने के लिए सरकार एक समिति बनाए जिसमें यह जो कानूनी सवाल होते हैं रूल्ज़ एंड रेगुलेशंस के सवाल होते हैं इनको एक अच्छी छवि के रूप में लोगों के सामने ले जाने का सवाल होता है इन सवालों के बारे में यह सारी व्यवस्था वह कर सके। अगर वह कर सके तो शायद यह हो सकता है कि सारा लोगों के सामने सीधा चला जाएगा तो भी संसद की प्रतिमा को बनाने का शायद इससे प्रयास हो सकेगा। मैं यह मानता हूं कि यदि इससे संसद की प्रतिमा को बनाने का प्रयास होता है इस दिशा में बहुत जल्दी कदम उठाने की आवश्यकता है। मैं ऐसा मानता हूँ। मैं अब अधिक देशों का जिक्र नहीं करना चाहता हूं लेकिन जिन तीन देशों का खास कर के जिक्र करना चाहता हूँ वहां पर आम तौर पर खुले आम टेलिकास्ट होता है। यह तीन देश हैं आस्ट्रेलिया, कनाडा और जर्मनी। कनाडा का इसलिए जिक्र करना चाहता हूँ कि वहां लोगों की जो राय बनी इसके कारण बनी है वह समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। यह राय ऐसी बनी है हालांकि वहां टेलिकास्ट शुरू हो गया उसके बाद उन्होंने लोगों से जानकारी ली। मैं इसे कोट करना चाहता हूँ क्योंकि हम सब लोगों की भी यही भावना होगी, ऐसा मैं मानता हूँ।

I quote:

> "Televising of proceedings is done under fairly strictly controlled conditions and no indecorous behaviour, commotion or gimmicks are allowed to be covered by the camera. The House has absolute control over recordings through the Chair and camera can focus only on the Chair and the members rtcognised by it. Some members felt this deprived the parliamentary proceedings of the drama that makes it exciting and should be available to the public. Others were more conservative and thought there should be no further liberalisation.
>
> Television by the very nature of Parliamentary debate...

This is very important for the Oppositon.

> ...helped the Opposition more than the Government. About 15 or 16 people every day hitting hard at the Government for one hour during question time did have its effect and people might develop a vague notion that something was wrong with the Government. This had to be balanced against the fact that unlike in the newspapers, the television excerpts used by the TV newscasters had to balance the questioner with the Government Minister who was answering the questions. The Government did get its side presented fairly.
>
> On the question of whether opportuni-

ty to be televised had -changed .the conduct of the members for the better or for the worse, opinion was divided. Some felt that members had become more conscious of television cameras and this affected not only their dress but their behaviour too.

That is good.

Members tended to grandstand and modified their approach for effect and away from real problems and issues. There was a tendency to speak to constituents and not to the House. Secondly, television had not improved the quality of the speeches in Parliament. However, television is regarded as a great education for the people and the country even though Parliament as such has lost some of its prestige.

मुझे लगता है कि अगर यह बात सही है तो इससे कुछ प्रश्न उठते हैं। आज कई देशों में क्या है कई देशों में सिर्फ क्वेश्चन आवर दिखाया जाता है। कनाडा में चेयर के पास कैमरा जायेगा और चेयर जिसको इन्डीकेट करेगी उसको टेलीकास्ट करते रहेंगे। आस्ट्रेलिया और जर्मनी में सारा फ्री है, जो कुछ करना है आप करते रहिए, जो बाहर देखेंगे उससे अपना-अपना ओपीनियन फार्म करते रहेंगे। मैं स्वयं स्वीडन में था तो हम वहां संसद देखने गये थे। मैंने वहां पूछा, यहां नीचे कितने झगड़े होते हैं और ऊपर कितने होते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे यहां हाउस में, विदिन द हाउस डिस्टर्बेन्स नहीं होता है, सदन में कोई ज्यादा गड़बड़ी नहीं होती है लेकिन ऊपर जो गैलरी में बैठे हुए प्रेक्षक या सुनने वाले लोग हैं वे ही नीचे सवाल पूछते हैं और उनको कहना पड़ता है कि आपको यह सवाल नहीं पूछना चाहिए। तो अलग-अलग ढंग से जो भी देश की परिस्थिति है, वहां के जो जानकार लोग हैं उनकी जो उसके प्रति प्रतिक्रियाएं हैं उसका एक रिफ्लेक्शन सदन और वहां की व्यवस्था में पड़ेगा, इसमें मुझे कोई शक नहीं लगता है।

अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरे दो तीन सुझाव हैं जो तुरंत मंत्री महोदय कर सकते हैं एक तो कमेटी की बात मैंने कही जिसके बारे में मंत्री महोदय सोचेंगे। लेकिन जैसा कि कुछ सदनों में यह किया जाता है—अब देखिए बजट सेशन आयेगा और बजट सेशन में वित्त मंत्री अपना बजट प्रस्तुत करेंगे तो आजकल उसमें हम क्या करते हैं, कि बजट जब प्रस्तुत हो जाता है उसके बाद हम अनाउंस करते हैं कि प्रस्तुत होने के बाद 6 बजे या 7 बजे टी०वी० पर उसकी कमेंटरी दी जायेगी, क्यों न हम शुरू करें इसी बजट सेशन से कि जो मंत्री महोदय अपना बजट पेश कर रहे हैं उसको सारा का सारा तुरंत ही टेलीकास्ट कर दें। इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर मैत्री महोदय के बजट का टेलीकास्ट कर दें तो जो आगे हम डिसक्शन में नाहक समय खर्च करते हैं वह छोड़कर लोगों को सीधा समझ में आयेगा कि मंत्री महोदय के क्या सुझाव बजट में आ रहे हैं। यह हो सकता है कि 6 बजे वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं, चर्चा शुरू हो जायेगी और चर्चा के समय जो आपोजीशन के लीडर या उनके प्रमुख प्रवक्ता हैं जो भाषण करेंगे उनका भी टेलीकास्ट हो जाये तो इससे यह होगा कि हम सरकार के और विरोध पक्ष के पक्ष को संतुलित रूप से लोगों के सामने ले जायेंगे। यह बहुत अच्छा होगा लोगों के लिए कि सरकार और विरोधी दल की नीतियों को हम उनका मन तैयार करने के लिए सही और ठीक रास्ते से उनके पास पहुंचायेंगे, ऐसा मुझे लगता है। मैं यह भी सोच रहा हूं कि जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक साल के लिए एक्सपेरीमेंटल बेसिस पर किया तो क्या हम यह नहीं कर सकते हैं कि कुछ मुद्दों को लेकर थोड़ा-थोड़ा दिखायें। यह बात सही है कि मैं यहां कहूं कि पूरा का पूरा टेलीकास्ट कर दीजिए तो इसमें टेक्निकल प्राब्लम्स तथा और बहुत सी प्राब्लम्स आ जाती हैं, जैसे मैंने पहले उपस्थित किये, ऐसे कई सवाल उठते हैं। इन सवालों के बजाये हम जो कोई कमेटी गठित करें वह सोचे कि क्या हो, जैसे कि आस्ट्रेलिया की बात है वहां 3 दिन ही करते हैं पार्लियामेंट का और दो दिन करते हैं ऊपर के सदन का यानी 7 दिन एक ही सदन का नहीं करते हैं। ऐसा कोई न कोई रास्ता सोचा जा सकता है लेकिन दिशा यह होनी चाहिए कि लोगों का अधिकार है जो चल रहा है वह सुनने का और देखने का। दृष्टव्य माध्यम की विशेषता यह होती है कि हम सिर्फ सुनते ही नहीं हैं, हम देखते भी हैं, जैसे अगर मैं कहूं—अटल जी होते तो जरूर कहता, अब नहीं हैं, तो भी कहना चाहूंगा कि अटल जी का भाषण ,अगर हम रेडियो पर सुनें तो इतना असर नहीं करेगा, जितना उनको देखते हुए सुनें। जो भी कोई एक व्यक्तित्व की विशेषता होती है, वह सिर्फ आवाज से नहीं, लेकिन उनके कहने के ढंग से भी होती है। इसके लिए दृष्टव्य माध्यम सिर्फ विचारों के लिए नहीं, लेकिन यह दृष्टव्य माध्यम व्यक्तित्व के आविष्कार का जो दर्शन लोगों को होगा, उसके लिए भी एक बहुत बड़ा आवश्यक भाग होता है।

मैं उस किताब का जिक्र करना चाहता हूं जिसमें "वी

[डा० बापू कालदाते]

मेड दी प्रेजीडेंट''—इनका इतना ही कहना था क्योंकि यह टेलीविज़न इंटरव्यू पर जाते हैं, तो कैसे बात करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे चेहरा साफ करके जाना चाहिए, वगैरह, वगैरह। वह सब साईंस बन गया है, सब वैज्ञानिक बातें हो रही हैं तो टेलीविज़न पर जाएं, कैसा वहां बोलें, कैसे सवाल आयें तो उनके जवाब दें, कैसा, कितना हंसे, कितना दुखी चेहरा करें, सब के बारे में एक नया वैज्ञानिक संशोधन सारी दुनिया भर में चल रहा है। लेकिन वह तो आगे वाली बात होगी, इस समय मैं यह कहता हूं कि यह मेरा शुरूआत का सुझाव इनके लिए एक है।

दूसरा, मैं मानता हूं कि दोनों सदनों में कम से कम इतना अगर हम तुरंत करें, जैसा कि मैंने यह बात कही, जैसे कि यहां प्राइम मिनिस्टर साहब का भाषण हो रहा है या जवाब के संदर्भ में या वहां कल भूतपूर्व प्रधान मंत्री जो आज विरोधी दल के नेता हैं उनका भाषण हो रहा था, अगर यह दोनों महत्वपूर्ण चीजें टेलीविज़न पर जाएं, तो इसका मतलब यह है कि समाज के सामने सारी बातें आ जायेंगी। इसके लिए मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। आपने कहा है, इसके लिए भी कहता हूं कि नहीं लेना चाहूंगा।

मेरी सरकार से यह अपील है कि जो सरकार खुले समाज और खुले समाज की व्यवस्था की अपेक्षा रखती है, नहीं उसके लिए प्रयास करने वाली सरकार है, जिसने कुछ अच्छे सुझाव, अच्छी व्यवस्था शुरू भी कर दी है, उस सरकार से मेरा अनुरोध है, मंत्री महोदय से जो स्वयं चाहते है कि इस दिशा में तुरंत कुछ कदम उठायें। उनसे मेरा अनुरोध है कि यह प्रस्ताव आप स्वीकार करें क्योंकि मर्यादित प्रस्ताव है। लेकिन सिर्फ स्वीकार ही न करें, लेकिन यह भी कहें कि क्या बजट सेशन में आप इस दिशा में और कुछ—अगर मैंने जैसे कुछ कदम सुझायें है, ऐसे कदमों के ऊपर आप चलने का प्रयास करेंगे, यह अगर सदन को बतायें तो बहुत ही ठीक है। इसके साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

डा० रत्नाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपका कृतज्ञ हूं कि आपने हमारे सदन के विद्वान हिंदी समर्थक सदस्य, डा० बापू कालदाते, के संकल्प पर मुझे अपना मत व्यक्त करने का मौका दिया है। शुरू में ही डा० कालदाते ने कहा है:

"कि संसद की कार्यवाही को टेलीविज़न पर दिखाने की मांग बढ़ रही है, यह आवश्यक है कि टेलीविज़न के लोकप्रिय माध्यम के द्वारा जनता में जनमत तैयार करने के लिए संसद की कार्यवाही को उन तक पहुंचाया जाये।

देश में संसदीय लोकतंत्र के हित में यह आवश्यक है कि जनता संसद की रोजमर्रा की कार्यवाही तथा उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों की संसद में निभाई गई भूमिका और उनके कार्यकरण के बारे में अवगत हो जिससे देश में संसदीय संस्था के प्रति आदर तथा सम्मान की भावना उत्पन्न होगी।

ब्रिटिश हाऊस आफ कामन्स सहित विश्व के अनेक प्रमुख देशों की संसदों ने अपनी-अपनी कार्यवाही को टेलीविज़न पर दिखलाना प्रारंभ कर दिया है, और संसद के केन्द्रीय कक्ष से राष्ट्रपति के अभिभाषण को सीधे टेलीविज़न पर दिखला कर एक स्वागत योग्य और अभिनंदनीय शुरूआत की गई है।

इस सभा की सम्मति है कि सरकार को संसद की कार्यवाही को टेलीविज़न पर दिखलाने के संबंध में सभी पक्षों की गहन जांच करने के लिए एक समिति का गठन करना चाहिए जिसमें संसद की दोनों सभाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य, प्रेस तथा इलेक्ट्रानिक मीडियों के प्रतिनिधि तथा अन्य विशेषज्ञ शामिल किये जायें और जो संसद के विचारार्थ उसे अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे।''

मान्यवर, हमारी पिछली सरकार ने जितना कुछ किया है, टेलीविज़न के माध्यम से दृश्य और श्रव्य माध्यम से इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रसारण का, वह दुनिया के इतिहास में कोई भी स्वतंत्र देश नहीं कर सका सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को सूचना के लिए बनाया गया और सूचना तथ्यों और घटनाओं पर दी जाती है।

3.00 P.M.

ग्राम समस्याओं तथा समस्त संसार की हो या इस लोक से परे अंतरिक्ष आदि की सूचनाएं हों, उसका प्रसारण जन साधारण में हो। इसीलिए उपनिषद् में कहा गया था कि "सत्यम् ज्ञान अनन्तम् ब्रह्मा" ज्ञान सत्य है, ब्रह्मा अनन्त है। अनन्त ब्रह्म का ज्ञान ही सत्य है और इसी सत्य का जन-जीवन में स्पष्ट प्रदर्शन और वाणी द्वारा उसका उद्घाटन हमारे सूचना और प्रसारण मंत्रालय का कर्म है। इसके पूर्व कि माननीय बापू कालदाते जी के इस संकल्प पर मैं अपने विचार प्रकट

करूं मैं अति संक्षेप में चाहूंगा कि आकाशवाणी और दूरदर्शन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर मैं थोड़ा प्रकाश डालूं। 1936 में आल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी, ब्रिटिश राज्यकाल में इसकी स्थापना हुई थी और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आल इंडिया रेडियो ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कार्पोरेशन (बी०बी०सी०) का एक तरह से पिछलग्गू और दुमछल्ला बना था, लेकिन बाद में जितनी गति के साथ इसका विकास हुआ वह फिर मैं दोहराना चाहता हूं कि किसी स्वतंत्र राष्ट्र ने इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से जनजीवन तक सरकार और देश और समाज की बातें पहुंचाने का प्रयत्न नहीं किया था। दूरदर्शन की स्थापना हमारे राष्ट्र के निर्माता पं० जवाहर लाल नेहरू के शासनकाल में 15 सितम्बर, 1959 को हुई थी। 1982 में जब एशियन गेम्स शुरू हुई इस देश में उस समय दूरदर्शन के ट्रांसमीटर लगाने की ओर हमारी स्व० प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का ध्यान गया और सही अर्थों में दूरदर्शन प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ और यह श्रीमती इंदिरा गांधी की देन है। इससे न विपक्ष इंकार कर सकता है और न सरकार इंकार कर सकती है। पहली बार भारत में रंगीन टेलीविज़न का शुभारंभ हुआ और बहुत सी कमेटियां इसके लिए बनीं। चंदा कमेटी बनी आल इंडिया रेडियो के प्रशासनिक ढांचे तथा कार्यक्रमों में सुधार के लिए सुझाव देने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब श्री लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्रित्व काल में वह सूचना और प्रसारण मंत्री थीं तब 1964 में उन्होंने चंदा कमेटी की स्थापना की थी। ए० के० चावला की अध्यक्षता में गठित इस कमेटी में कई संसद् सदस्य श्री नाथ पाई, हमारे राज्य सभा के नेता श्री गुरुपदस्वामी जी, लक्ष्मीमल सिंघवी जी, श्रीमती कमला चौधरी जी, श्री विद्याचरण शुक्ल जी, हसन ज़हीर, अशोक मित्रा, आई० सी० एस०, चेलापति राव और हिंदी के प्रकांड विद्वान हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक समिति बनी। आकाशवाणी की तत्कालीन वरिष्ठ निदेशिका मिस मेहरा मसानी को इस चंदा कमेटी का मैम्बर सेक्रेटरी बनाया गया था। दूरदर्शन को भी इसके विचार क्षेत्र में शामिल किया गया था। चंदा कमेटी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट 1964 में सरकार को दी। इसकी एक सिफारिश यह भी थी कि आकाशवाणी को पृथक स्वायत्त कार्पोरेशन बनाया जाए। अप्रैल, 1970 में सरकार ने लोक सभा को बताया था कि आल इंडिया रेडियो को ...(व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई): पाण्डेय जी, टाइम बहुत कम है इसलिए अगर आप इस प्रस्ताव पर ...(व्यवधान)

डा० रत्नाकर पाण्डेय: मुझे केवल 20 मिनट समय दीजिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई): मैं आपको रोक नहीं सकता हूं क्योंकि यह प्राइवेट मैंबर्ज़ का है।

डा० रत्नाकर पाण्डेय: मैं पूरा ध्यान रखूंगा, जो आपका आदेश है मैं उसका पालन करता हूं।

श्री राम चन्द्र विकल (उत्तर प्रदेश): जैसा बापू कालदाते जी चाहते हैं जो कुछ इसका रिज़ल्ट आए और मंत्री जी ने आश्वासन दिया, तो या तो आप समय बढ़ा दें या फिर जो वक्ता हैं उनको बोलने दिया जाए।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई): समय तो चेयरमैन साहब ने बताया कि चार बजे....

श्री राम चन्द्र विकल: प्राइम मिनिस्टर चार बजे के बजाय पांच बजे बोलें, रात भर तो आज बैठना ही है।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई): नहीं, वह तो चेयरमैन साहब ने पहले ही बताया है, इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूं।

श्री राम चन्द्र विकल: इसका समय बढ़ा दें तो अच्छा है।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई): नहीं, चेयरमैन साहब के ऊपर तो मैं नहीं बोल सकता हूं।

डा० रत्नाकर पाण्डेय: माननीय उपसभाध्यक्ष जी, आपके निर्देशानुसार मैं पूरा ध्यान रखूंगा कि अति संक्षेप में अपनी बात कहूं, लेकिन जब इतना महत्वपूर्ण डिबेट हो रहा है, एक संकल्प आया है तो उस पर थोड़ा विस्तार से अतीत की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए मैं वर्तमान पर आना चाहूंगा। तो मैं कह रहा था कि चंदा कमेटी ने अप्रैल, 1970 में सरकार को रिपोर्ट दी और लोकसभा में यह रिपोर्ट रखी गई कि आल इंडिया रेडियो को स्वायत्त-निगम बनाया जाये, लेकिन इसके लिए अभी अनुकूल समय नहीं है, यही बात दूरदर्शन के लिए भी कही गई। फिर वर्गीस कमेटी बनी 1977 में, उस समय जनता पार्टी सत्तारूढ़ हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे और अगर मेरी स्मृति सही है तो भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा-सदस्य श्री लालकृष्ण आडवाणी जी सूचना और प्रसारण मंत्री थे।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश): पाण्डेय जी, आप अपनी स्मृति पर शंका क्यों करते हैं? आपकी स्मृति बहुत सही है।

डा० रत्नाकर पाण्डेय: तो उस समय घोषणा की गई,

[डा० रत्नाकर पाण्डेय]

जनता पार्टी के घोषणा-पत्र में, कि आकाशवाणी और दूरदर्शन को आटोनोमी दी जाये, इसके लिए पूरी कोशिश हम करेंगे। सत्तारूढ़ होते ही जनता पार्टी ने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक काम किया, आकाशवाणी और दूरदर्शन को जागृत किया और इसके लिए वर्किंग ग्रुप का निर्माण किया। उस समय श्री बी०जी० वर्गीस, जो विख्यात पत्रकार थे, उनको वर्किंग ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया। इस समिति ने प्रसार-भारती नामक स्वायत्त निगम की रिपोर्ट तत्कालीन जनता सरकार को दी, जिसकी घोषणा आज हमारे अभिन्न माननीय मित्र संसदीय कार्य और सूचना प्रसारण मंत्री माननीय उपेन्द्र जी ने की है। मान्यवर, तीन वर्षों में उस रिपोर्ट पर कुछ नहीं हुआ, जब तक इनका शासन था। आकाशवाणी और दूरदर्शन दो अलग-अलग कारपोरेशन बनाए जायें या इन्हें एक ही कार्पोरेशन के अधीन रखा जाए, इस पर विचार किया गया था। वर्गीस कमेटी ने सन् 1978 में रिपोर्ट दी थी, जिस पर राज्यसभा और लोकसभा में विचार किया गया था और उसके आधार पर एक बिल तैयार किया गया था, परंतु उस समय सरकार के रहते उस बिल पर कोई कार्यवाही नहीं हुई।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं उपेन्द्र जी का यह एक अच्छा प्रयत्न मानता हूं कि उन्होंने प्रसार-भारती को पुनः संचालित करने का संकल्प लिया है। मैं चाहूंगा कि अब उनके संकल्प के क्षेत्र में बाधा न आए और स्वायत्तता बने। इसकी मैं ताईद करता हूं और मैं चाहूंगा कि स्वायत्तता आप दें। हमने अपने चुनाव-घोषणा पत्र में भी यह कहा था कि स्वायत्तता हम देंगे आकाशवाणी और दूरदर्शन को। माननीय उपाध्यक्ष जी, एजुकेशन को हमने स्वायत्तता दी, चाहे वह यू०जी०सी० है, विश्वविद्यालय है या कालेज हैं, सबको स्वायत्तता दी गई है।...(**व्यवधान**) उपेन्द्र जी, माननीय मंत्री जी, आप जरा मेरी बात सुन लीजिएगा। आपकी आटोनोमी का मैं समर्थन करता हूं, लेकिन वह आटोनोमी बेकार होगी, जिसके साथ एकाउण्टीबिल्टी फिक्स न हो। तो आप प्रसार भारती लाएं या संसद की कार्यवाही को सीधे जनता तक प्रसारित करें, मगर स्वायत्तता देकर आप उसकी जिम्मेदारी फिक्स करें। अगर आप एकाउण्टीबिल्टी-लेस स्वायत्तता देंगे तो वह उचित नहीं होगी, उसमें अराजकता उत्पन्न होगी, जो काम के प्रति लोगों का दायित्व है उससे वे अलग होकर यूनियन बनाएंगे। सारा खर्च इसके लिए सरकार देगी, लेकिन स्वायत्तता के नाम पर मनमानी हो, यह हमको चलने नहीं देना है, चाहे वह हमारी सरकार हो या आपकी सरकार हो। जो भी सरकारी काम में लगे हुए हमारे देश के लोग हैं, उनकी एकाउण्टीबिल्टी जरूर फिक्स होनी चाहिए। आप इसकी शुरूआत आकाशवाणी आल इंडिया रेडियो के माध्यम से करें।

महोदय, मैं तो मानता हूं कि एकाउण्टीबिल्टी के बिना स्वायत्तता की बात करना व्यर्थ है, समय का दुरुपयोग है और अपने दायित्व से भागने वाली बात है। मैं चन्द्रा कमेटी की रिपोर्ट की बात कर रहा था। आकाशवाणी और दूरदर्शन की स्वायत्तता का अनुभव उस समय किया गया और "प्रसार भारती" की योजना की बात की गयी। लेकिन आप अपनी प्रोसिडिंग्स निकाल कर देखिए आपके तत्कालीन प्रधान मंत्री मोरारजी देसाई ने उस योजना की समग्र खिलाफत की और "प्रसार भारती" की योजना ड्राप कर दी गयी अब उसके बाद आप लाए हैं तो करिए।

आज लोकसभा में "प्रसार भारती" की चर्चा मैंने अखबारों में देखी। वर्गीस कमेटी की रिपोर्ट पर आपका सारा वर्क आउट आधारित है। जो कुछ आपने काम किया है, उसकी मूल भूमिका वर्गीस कमेटी है जोकि हमारी सरकार की देन है। अब "प्रसार भारती" निगम को पूर्ण स्वायत्तता आप प्रदान करें। इस वर्ष चुनाव में कांग्रेस (आई) ने डंके की चोट पर कहा था कि हम रेडियो और दूरदर्शन को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान करेंगे। हमने आकाशवाणी और दूरदर्शन को कार्पोरेशन बनाने का वायदा किया था। सरकार के नियंत्रण के बाहर पूर्ण स्वायत्तता देने का प्रावधान उस में हो, न हो — यह एक विचाराधीन प्रश्न है। उपेन्द्र जी आप सूचना और प्रसारण मंत्री के पद पर बैठे हुए हैं, इस तरह की स्वायत्तता मत दीजिएगा कि सब कुछ आपके हाथ से चला जाए। जो चुने हुए जन-प्रतिनिधि हैं, चाहे इस पार बैठे हैं या उस पार — उनके हाथ से निकल जाए और केवल ब्यूरोक्रैट्स उस पर छा जाएं। अगर आपने ऐसी आटोनोमी दी तो आटोनोमी इस देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। उसके रिजल्ट निकलने चाहिएं और जिसको जो दायित्व दिए जाएं वह उन दायित्वों को पूरा करें।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि 27 वर्षों के अपने जीवनकाल में भारतीय दूरदर्शन ने अद्भुत विकास किया है। इसके ट्रांसमीटर्स और ट्रांसपोजर्स की संख्या एक साल के अंदर पिछले वर्ष सवा चार सौ से ऊपर पहुंच गयी थी। दूरदर्शन का इस गति से विस्तार हुआ है कि देश के कोने-कोने के जंगल से लेकर पहाड़ तक हर जगह दूरदर्शन के माध्यम से मनोरंजन, सूचना और ज्ञान के कार्यक्रम पेश किए गए हैं। ये तीन उद्देश्य होने चाहिएं — ज्ञान, मनोरंजन और जानकारी। ये तीनों चीजें देश की कोटि-कोटि जनता को हमारी सरकार ने दी थी।

उस काम को आगे बढ़ाना है। इसका श्रेय आपको मिले इसमें हमें कोई एतराज नहीं। हम प्रसन्न होंगे अगर आप इस काम को पूरा करते हैं।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी और सदन से कहना चाहूंगा कि आकाशवाणी पर जो "इश्यू बिफोर पार्लियामेंट" की डिबेट होती है, वह तो हिंदी में आती है। उसमें मैं दो-तीन बार पार्टिसिपेट कर चुका हूं। लेकिन दूरदर्शन पर अभी भी अंग्रेजी में "इश्यू बिफोर पार्लियामेंट" दिखाया जाता है और भारतीय भाषाओं और राष्ट्रभाषा हिंदी की समर्थक है, उसको बुलाते तक नहीं हैं। उस को आप हिंदी में बोलने की अनुमति नहीं देते हैं। ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं कि इससे "इश्यू बिफोर पार्लियामेंट" का स्टेंडर्ड गिर जाएगा। इसलिए भविष्य में आप राष्ट्रभाषा हिंदी में "इश्यू बिफोर पार्लियामेंट" की चर्चा कराएं। विदेशी दासता तो चली गयी, लेकिन गुलामी की मानसिकता की जो धरोहर अंग्रेजी है, उसके माध्यम से आप कार्यक्रम न दिखाएं तब जाकर लगेगा कि आप अच्छे ढंग से कुछ काम करना चाहते हैं। देशी भाषाओं की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए।

मान्यवर, मैं मूल मुद्दे पर आता हूं जिसकी ओर बापू कालदाते जी ने ध्यान दिलाया है। अभी आपने बड़ी अच्छी शुरूआत की। भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी ने नयी सरकार आने के बाद सेंट्रल हाल में दोनों सदनों को संबोधित किया। बड़ी गंभीरता और गरिमा के साथ हम सारे सदस्य उसमें बैठे थे। उसमें जो दो पंक्ति का आरक्षण समर्थक प्रस्ताव था, जिसमें कोई कमिटमेंट नहीं था कि आप लागू करेंगी या नहीं, उस पर इस सदन के एक माननीय सदस्य भाई राम अवधेश सिंह जी खड़े हुए और दस मिनट तक अपने स्वभाव के अनुकूल अपनी वाणी मुखरित करते रहे, लेकिन मंत्रीजी हम चाहेंगे आप जिस आसन पर बैठे हैं, आपने संविधान के प्रति शपथ ली है, उस आसन पर बैठकर उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। अगर राष्ट्रपति के अभिभाषण का एक माननीय सदस्य ने आरक्षण विरोधी मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर अपना मतभेद प्रकट किया था... तो जिन लोगों के हाथ में डायरेक्ट टेलीकास्ट का कैमरा था उनको रोका गया और इसकी घटना मैं सुनाना चाहता हूं। जब माननीय आडवाणी जी भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे तब इंदिरा गांधी को बहुमत से संसद की सदस्यता समाप्त करके जेल भेजा गया। हमने संसद का घेराव किया। हमने राष्ट्रपति भवन का घेराव किया और सारे देश के अखबारों में फोटो के साथ प्रमुख पृष्ठ पर समाचार आया

लेकिन आकाशवाणी में और दूरदर्शन में दिखाने के लिए मिनिस्टर साहब ने रोक दिया। उस समय के तत्कालीन न्यूज एडीटर थे आकाशवाणी के श्री रघुरमैया, जब मैंने उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा मैं क्या कर सकता हूं। मुझे ऊपर से आदेश हुआ है। उसके बाद हमने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए आडवाणी जी के घर पर प्रदर्शन किया। आडवाणी जी चाहे इस सदन के हों या उस सदन के, उन्होंने उसी वक्त इस्तीफा दिया मोरारजी देसाई को तब जाकर उनका घेराव हमने रोका था। आप कुछ काम करना चाहते हैं आप चाहे इधर बैठे रहें या उधर बैठे रहें, आप में स्प्रिट है काम करने की। उस स्प्रिट को आप कायम रखें। आपकी सरकार बीजेपी का समर्थन ले रही है, कम्युनिस्टों का समर्थन ले रही है, और सब का समर्थन ले रही है। उन समर्थनों के जाल में मत फंसिये।

सूचना और प्रसारण मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र): कांग्रेस का भी।

डा० रत्नाकर पाण्डेय: कांग्रेस तो कंक्रीट काम के लिए दे ही रही है। लेकिन आदरणीय मित्र होने के नाते मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जो जनतांत्रिक मूल्यों और भारत की कोटि-कोटि आशाओं, आकांक्षाओं और विश्वासों को धोखा देने वाला हो और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने वाला हो। ऐसा काम नहीं होना चाहिए।

अब मैं मूल प्रश्न पर आता हूं। टेलीविज़न का प्रयोग खूब होना चाहिए। सब लोग चाहते हैं कि हमारा चेहरा टेलीविजन पर दिखाया जाये। लेकिन मुझे लगता है कि उस दिन राम अवधेश सिंह जी ने जो किया उसको न दिखाने के लिए आपकी ओर से या आपकी सरकार की ओर से सरकारी अधिकारियों को इंस्ट्रक्शन दी गयी थी। मेरे द्वारा सदन में उठाने के बाद प्रेस स्टेटमेंट में यह आया कि हम स्टेण्डर्ड मैन्टेन कर रहे थे। राष्ट्रपति के अभिभाषण को दिखाने के लिए आप स्टेण्डर्ड मैन्टेन कर रहे थे। यदि ऐसा ही करना है तो फिर संसद की कार्रवाई का सीधा प्रसारण दिखाने की बात करना बंद करिये। दोहरा स्टेण्डर्ड आपका नहीं होना चाहिए। एक ही स्टेण्डर्ड होना चाहिए। माननीय सदस्यों की भावनाओं का हनन नहीं करना चाहिए। जहां तक संसद की कार्रवाई दिखाई जाने की बात कही गयी है इसके लिए माननीय डा० कालदाते जी की राय से मैं सहमत हूं कि एक समिति बनायी जाए और उस समिति में ज्ञानी लोगों को जो इस मीडिया से सम्बद्ध लोग हैं उनको रखा जाए और

[डा० रत्नाकर पाण्डेय]

कमीशन कमेटी और चन्दा कमेटी की रिपोर्ट पर कार्रवाई की जाए इसके लिए टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाया जाए। यहां जब आप संसद की कार्रवाई दिखाना शुरू करेंगे तो राज्यों की अटोनोमी की बात भी आयेगी। हर स्टेट यह बात उठायेगा कि हम को भी प्रसारित करें। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इस पर कितनी धनराशि इस राष्ट्र की खर्च होगी इसका कोई अनुमान आपने लगाया है? जनता की प्रवृत्ति को पकड़ने के लिए और अधिक खुलेतौर पर काम करने के लिए राष्ट्र को निर्णय लेना चाहिए। दिन भर आप संसद की कार्रवाई दिखायेंगे तो लोग संसद की कार्रवाई देखेंगे या नौकरी करेंगे, या खेती करेंगे या काम करेंगे? यह कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है चाहे राज्य सभा हो या लोक सभा। राष्ट्र के लाखों-लाख लोगों द्वारा चुन कर यहां प्रतिनिधि आते हैं तो हम इस तरह की व्यवस्था करें, जैसा कि अभी बापू कालदाते जी कह रहे थे कि चेयरमैन के पास कैमरे का फोकस होता है

कहां उसको घूमाया जाये, कहां न घूमाया जाये और चेयर की रुलिंग पर भी कभी-कभी विवाद हो जाता है। तो स्वस्थ परम्परा आप दिखायें। सारी कार्यवाही आप दिखायेंगे या लिमिटेड, जो भी प्रसारण की आप व्यवस्था करना चाहते हैं वह करें। कुछ संसदों के महासचिवों के संगठन द्वारा 22 संसदों का सर्वेक्षण किया गया था—आस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत, आयरलैण्ड, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर अन्य देशों में सम्पूर्ण कार्यवाही रेडियो ओर टेलीविजन पर नियमित रूप से प्रसारित की जाती है। परन्तु इसका अधिकांश भाग वाद-विवाद के रूप में रिकार्ड किया गया होता है। समाचार के रूप में और अन्य सामयिक कामेन्टरी अथवा उसके बिना भी प्रसारित किया जाता है। सामान्यतः केवल महत्वपूर्ण वाद-विवाद अथवा निश्चित कार्यवाही के अंश नियमित रूप से सीधे दृश्य-श्रव्य प्रसारित किये जाते हैं और रेडियो प्रसारण के संबंध में आस्ट्रेलिया, आस्ट्रिया तथा संघीय जर्मन गणराज्य की संसद रेडियो और टेलीविजन के मामले में केवल जापान की नेशनल एजेन्सी अपवाद हैं। आस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन में हाऊस आफ लार्ड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में इस संबंध में निकट भविष्य में कार्यवाही को टेलीविजन से नियमित रूप से प्रसारित करने के संबंध में निर्णय लिया गया है। दुनिया में जो डेमोक्रेटिक फोर्सेज हैं, जो जनतंत्र में विश्वास करती हैं, यह सरकार करती है या नहीं करती है, मैं नहीं जानता, लेकिन इन सदन के माननीय प्रतिनिधि विदेश गये थे, इस सदन के अधिवेशन से पहले, तो उन्होंने कहा कि डेमोक्रेटाइजेशन नहीं, नई आने वाली वी०पी० सिंह की सरकार प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है। तो क्या आप यह सब प्राइवेटाइजेशन के लिए तो नहीं कर रहे हैं। आप डेमोक्रेटिक नार्म्स अपनाइये। हम भी चाहेंगे कि संसद की कार्यवाही दिखाई जानी चाहिए और विधान मंडलों की कार्यवाही के लिए भी आगामी कार्यक्रम बनाइये, कारपोरेशन्स और जिला परिषदों के लिए भी यही कार्यक्रम बनाये जाने चाहिए क्योंकि नीचे तक ले जाने की बात की जाती है, इकाई तक ले जाने की बात की जाती है, इसलिए इस काम को गांवों तक ले जाना चाहिए। संसद के बाद विधान मंडलों और उसके बाद कारपोरेशन्स और उसके बाद जिला परिषदों और उसके बाद ब्लाक लेवल और गांव पंचायत तक इस व्यवस्था को ले जाने के लिए आपके पास क्या योजना है? भविष्य में आप इस संबंध में क्या कदम उठा रहे हैं? दायरा छोटा हो या बड़ा, हमारा दायरा पूरा राष्ट्र है। विधान सभा का दायरा प्रान्त है, कारपोरेशन का दायरा शहर है, जिला परिषद का दायरा जिला है और ब्लाक का दायरा ब्लाक है और पंचायत का दायरा गांव है। इन सब चेनल तक ले जाने के लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं, यह भी हम जानना चाहेंगे। यह मामला इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। दूरदर्शन का परिचय श्रीमती इन्दिरा गांधी ने एशियन गेम्स के माध्यम से कराया और सारे देश में टेलीविजन का जाल बिछा दिया। उसके बाद उनके लायक सुपुत्र श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में टेलीविजन, रेडियो और प्रैस की स्वतंत्रता और स्वायत्तता का काम हुआ, उतना आज तक 43 वर्षों में कोई भी सरकार नहीं कर सकी। उपेन्द्र जी आप नोट कर लीजिये, आप भी वह काम नहीं कर पाएंगे। आपके चारों तरफ ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि अगर घोष साहब का चेहरा शाम को नहीं आएगा तो आप से लड़ पड़ेंगे। मैं आपके मित्र की बात करता हूं, उनका चेहरा टेलीविजन पर नहीं आएगा तो वे यहां ताला लगाकर चले जाएंगे। इसलिए आप ऐसी व्यवस्था करें जिसमें संसद की मर्यादा कायम रह सके। अभी आप नये-नये मंत्री हुए हैं, हम चाहते हैं कि आप अच्छे मंत्री बनें। अभी जो आपकी तीन पहियां सरकार है, उसमें कुछ लोग कहते हैं कि धारा 370 को हटाओ और कुछ लोग प्रोग्रेसिव होने की बात करते हैं। ऐसे लोगों के बीच में आपको काम करना है। कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे यहां से निकलकर आपके यहां प्रधानमंत्री बन गये। उनके नेतृत्व में आपको काम करना है तो आपको बहुत सोचसमझकर इसको इम्प्लीमेंट करना होगा। डा० बापू कालदाते डेमोक्रेटिक नार्म्स, सेंस के आदमी हैं, वे चाहे किसी भी दल में रहें। मुझे संसदीय राजभाषा समिति में उनके साथ और माननीय वाजपेयी के

साथ काम करने का मौका मिलता रहता है। उन्होंने एक अच्छी चीज सदन के सामने लाने की कोशिश की है। जब से आपकी सरकार आई है तब से मैं खुश हूं। जितनी बार टेलीविजन पर आपका चेहरा आया उतनी बार वी०पी० सिंह का भी नहीं आया। यह खुशी है कि आप स्वायत्ता की बात तो करते हैं ...(व्यवधान)... सच है। वे इंडिपेंडेंट व्यूज के आदमी हैं उनका कोई क्या कर लेगा। तो मैं उपेन्द्र जी से चाहूंगा कि ऐसा न हो जिस तरह से पिछली जनता सरकार में माननीय मोरारजी देसाई ने रोक दिया था। यह आपने जो किया है, आज अखबारों में पढ़ा कि एक नई योजना जो हमारी 77 में योजना सबमिट हुई थी वर्गीज जी की अध्यक्षता में, आप उस योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। उस चीज को जो हमारी सरकार ने किया है या और किसी सरकार ने किया है तो आपसी झगड़े से आपकी वह सरकार जब जयप्रकाश नारायण डाइलेसिस पर तड़प रहा था तो मोरारजी को हटाकर जगजीवन राम प्रधान मंत्री होंगे, चौधरी चरण सिंह प्रधान मंत्री होंगे, इसकी लड़ाई आप करते रहे। आप इस लड़ाई को अवाइड करें। आपने जो काम उठाया है उस काम को करिये। मेरी मंगलकामना आपके साथ है। सीधा प्रसारण जो आप करें उसमें इस बात का आप ध्यान रखें, भगवान करे यह हो तो केवल आपके प्रधान मंत्री का ही चेहरा या आपका ही चेहरा न आये बल्कि सदन के समस्त सदस्य जो पार्टिसिपेट करते हैं उनकी ओर भी ध्यान दिया जाये।

श्री पी० उपेन्द्र: आपका बयान 10 बुलेटिन्स में आया था उस दिन।

डा० रत्नाकर पाण्डेय: हमारा तो आता रहता है। हमको बुलाते रहते हैं टेलीविजन वाले।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : मगर मेरा नहीं आता है।

डा० रत्नाकर पाण्डेय: जहां जाता हूं रिकार्डिंग होती है। आपकी कृपा से नहीं। बुला लेते हैं लोग।

तो मैं चाहूंगा कि यह एक बड़ी शुरूआत होगी। इस शुरूआत को करने के पहले आप आत्मचिंतन करें। उस आत्मचिंतन में कोई बंधन न हो बल्कि उसमें सद्भाव और विचारों का स्फुरण हो और उस स्फुरण के बीच से जो हमारा सर्वोच्च कानून बनाने का यह सदन है और उस सदन, लोक सभा की कार्यवाही जल्दी से जल्दी जैसा बापू कालदाते जी ने कहा है उसको जितनी शीघ्रता से हो सके आप करिये। इसमें जो आपको सहयोग चाहिये हम देंगे क्योंकि हम प्रैस की स्वतंत्रता पर विश्वास करते हैं और आप प्रैस की स्वतंत्रता नहीं बल्कि आप मालिकों की स्वतंत्रता पर विश्वास करते हैं। 52 दिन तक...

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : आप अब खत्म करिये।

डा० रत्नाकर पाण्डेय: मैं खत्म कर रहा हूं।

52 दिन तक इंडियन एक्सप्रैस की हड़ताल चली। लेकिन रामनाथ गोयनका की हिम्मत नहीं पड़ी कि तालाबंदी करे क्योंकि मजदूरों के साथ, पत्रकारों के साथ, वर्कर्स के साथ राजीव गांधी की सरकार थी। आपका लेबर मिनिस्टर सबेरे मित्र-मित्र कर रहा था। कोई साफ जवाब उसके पास नहीं था। प्राइम मिनिस्टर भी कोई साफ जवाब नहीं दे रहे थे। सेठों, मालिकों के पोकेट की सरकार चल रही है। वी०पी० सिंह को उनके पोकेट में रहने दीजिये और वर्किंग जर्नलिस्ट के साथ स्वतंत्र रूप से बात करिये। अगर आप सूचना और प्रसारण मंत्री हैं जनतंत्र की सामूहिकता, स्वतंत्रता और आटोनामी में विश्वास करते हैं तो इस तालाबंदी को...

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई): दूसरों पर दया कीजिये। समाप्त कीजिये।

डा० रत्नाकर पाण्डेय: ... जो तालाबंदी है, इंडियन एक्सप्रैस में 750 कर्मचारी हैं जो बेकार बैठे हुए हैं तो उस तालाबंदी को खुलवाने के लिये आप यहां पर आश्वासन दें। आप सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। लेबर मिनिस्ट्री तो एक आर्गन है काम करने का। पत्रकारों का दायरा आपसे है।

श्री राम अवधेश सिंह (बिहार) : सारा समय यही ले लेंगे?

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : मैं क्या करूं बताइये, प्राइवेट मेम्बर बिल है।

श्री राम अवधेश सिंह: हाउस में और भी सदस्य हैं जो इस पर बोलना चाहते हैं।

डा रत्नाकर पाण्डेय: मुझे अपनी बात कहने दें। Don't disturb me.

श्री राम अवधेश सिंह: सब का समय आप ही लेंगे, कोई बात हुई? कोई मर्यादा तो होनी चाहिये। सारे सदन का समय अकेले ही ले रहे हैं **(व्यवधान)**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI) : This is a Private Member's Resolution and I cannot help it *...(Interruptions).*

मैंने आपको बता दिया है।

डा० रत्नाकर पाण्डेय: मैं समाप्त करता हूं मैंने माननीय सदस्य का इतना समर्थन किया लेकिन यह मेरा विरोध कर रहे हैं इनका चरित्र देखिये। मैं यह कह रहा था कि 750 कर्मचारी इण्डियन एक्सप्रैस के जो पत्रकारिता से संबंधित हैं आज सड़कों पर हैं। राम नाथ गोयनका जिन्होंने वी० पी० सिंह के लिए अपने अखबार को पैम्फलेट बनाया था उन्होंने आज तालाबन्दी करा दी है उस तालाबन्दी को नाजायज़ घोषित करने का अगर आपकी सरकार में मादा है तब तो आप डेमोक्रेसी की बात प्रैस की स्वतंत्रता की बात और दूरदर्शन पर संसद की कार्यवाही दिखाने की बात करिये अन्यथा बात मत करिये। आपका प्रधान मंत्री दोहरे चरित्र वाला आदमी है पी० उपेन्द्र जी आप उनसे बचें यह अंत में मैं उनसे कहना चाहूंगा। मैं डा० बापू कालदाते जी के संकल्प का अर्ध-समर्थन करता हूं।

श्री राम अवधेश सिंह: पांच मिनट मुझे दे दीजिये।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई): आपका नाम मेरे पास लास्ट में है।

श्री राम अवधेश सिंह: नाम आगे हो या पीछे आप चाहें तो दे सकते हैं। मैं पांच मिनट ही मांग रहा हूं। मालवीय जी कृपा करेंगे तो ...**(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई): यह तो उनका अधिकार है मैं किसी के अधिकार का हनन नहीं कर सकता।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, डा० बापू कालदाते जी का जो संकल्प है बहुत ही सामयिक है **(व्यवधान)**

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu) : Only one minute, Sir ***...(Interruptions)...*** **Sir, I just want only one minute** ***...{Interruptions)...***

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI) : No. Mr. Malaviya has to speak now.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI : Mr. Vice-Chairman, Sir, you just hear me. If you allow me, I will speak; otherwise **not...** ***{Interruptions)...***

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN (Tamil Nadu): Sir, allow Tamil Nadu to say something.

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry) : Sir, kindly allow him.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI : Sir, if you allow me, I will speak.

I will take only one minute ...*{Interruptions)...*

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN : Sir, he wants to say something.

Kindly allow him ***...{Interruptions)...***
SHRI V. NARAYANASAMY : Sir, it seems he wants to say something.

So, kindly allow him ***...(Interruptions)...***

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Sir, why are you shutting out the **voice of Tamil Nadu?** ***...(Interruptions)...***

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): There is no question of shutting out anybody. It is a question of first come, first served.

SHRI V. NARAYANASAMY: He wants just only one minute, Sir. You can just give him a minute.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI) : All right.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI : Sir, the honourable Member, Mr. Pande, has said that in the television, English should be replaced by Hindi. We are **totally against it** ***...(Interruptions)...***

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI) : It is his personal **view** ***...(Interruptions)...***

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI : Sir, the honourable Member is putting pressure on the honourable Minister ***...(Interruptions)...***

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH^ DESAI): It is for him to decide.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: If at all it is to be replaced,all the Indian languages should be given equal treatment ... *{Interruptions)...*

SHRI V. NARAYANASAMY: Then **you want** Telugu? ...*(Interruptions)...*

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: If at all it is to be replaced, all the Indian

languages should be given equal treatment ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): That is what he also says. ... *(Interruptions)*...

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: He also says that all languages should be taken into consideration.' But he wants Hindi to be given predominance. But I say that all the Indian languages should be given equal treatment.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): That is all right. It is his personal view. Yes, Mr. Malaviya.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय: उपसभाध्यक्ष महोदय, डा० बापू कालदाते जी का जो गैर सरकारी संकल्प है वह बहुत ही सामयिक है और मैं समझता हूं कि सदन का हर सदस्य इसका समर्थन करेगा। यह सही है कि 15 सितम्बर, 1959 को भारत में दूरदर्शन केन्द्र का उद्घाटन हुआ था जवाहरलाल जी के समय में और प्रथम दूरदर्शन केन्द्र का उद्घाटन उस वक्त के राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद ने किया था। सारा देश भी चाहता है और इस राय का है अधिकतर लोग इस राय के है कि इस देश की संसद के अन्दर जो कार्यवाही होती है जनप्रतिनिधि जो कुछ भी करते हैं उसकी सीधी जानकारी इस देश की जनता को और इस देश के जो मतदाता हैं और जो युवक हैं उनको उसकी जानकारी होनी चाहिये। विद्वान सदस्य डा० रत्नाकर पाण्डेय जी अभी बी०जी० वर्गीस कमेटी का जिक्र कर रहे थे। इस विभाग के लिए वर्किंग ग्रुप बनाया गया श्री बी०जी० वर्गीस ने स्वयं इस बात को माना था और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है-

"The purpose of radio and television is to inform, educate and entertain the people."

यानी जो आकाशवाणी है, दूरदर्शन है इसका काम है आम जनता को शिक्षित करना उसका मनोरंजन करना और सूचना देना जैसे कि विभाग का नाम है सूचना विभाग। वर्गीस कमेटी ने यह भी कहा—

'As a mass media, they must be the media for the masses.'

यानी जनसाधारण को सूचना देने का यह मीडिया है और इसलिए जनसाधारण को सूचना देने का काम इसको करना चाहिए। मैंने स्वयं इस संबंध में बहुत दिनों से सदन में इस मांग को रखा था और इसके पीछे केवल मेरी यह मंशा थी कि सीधे जानकारी इस देश की जनता को होनी चाहिए कि सदन में क्या हो रहा है। मुझे याद आ रहा है, यह 1953-54 की बात है, मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश की पर मुझे मिला नहीं, लेकिन यह संसद की कार्यवाही के संबंध में है, उस समय एक विधेयक लाया गया था संसद में और भूतपूर्व प्रधान मंत्री के पिता तथा उनके पहले जो प्रधान मंत्री थीं उनके पति श्री फिरोज गांधी ने उसका विरोध किया था। उन्होंने जो विरोध किया जो संशोधन उसमें रखा था उसका नाम ही रखा गया था फिरोज गांधी अमेंडमेंट और उसमें उन्होंने कहा था कि संसद की कार्यवाही को प्रकाशित होने में जो रोक लगायी जा रही है यह उचित नहीं है अनुचित है क्योंकि यह संसद है देश की लोकसभा का नाम हाउस आफ पीपुल भी है और इसका नाम है राज्य सभा या कांउसिल आफ स्टेट्स, इसलिए लोकसभा के अंदर लोक प्रतिनिधि जो काम कर रहे हैं इसकी जानकारी लोगों को होनी चाहिए और मैं भी यह समझता हूं कि जो संकल्प रखा गया है इसको वर्तमान सरकार को स्वीकार करना चाहिए क्योंकि वर्तमान सरकार खुली सरकार में विश्वास करती है। वह आम जनता से किसी चीज को छिपाना नहीं चाहती है। सार्वजनिक महत्व के विषय की जानकारी आम जनता को देना चाहती है और इसलिए जब वर्तमान सरकार का गठन हुआ और यह जानकारी हुई कि राष्ट्रपति का अभिभाषण होने जा रहा है तो 10 दिसम्बर को वर्तमान सूचना मंत्री श्री उपेन्द्र जी को मैंने एक पत्र लिखा और पत्र लिखकर मैंने उनसे मांग की कि जो राष्ट्रपति का अभिभाषण संयुक्त अधिवेशन में हो इसका भी सीधा प्रसारण होना चाहिए दूरदर्शन से और साथ-साथ आकाशवाणी से भी इसका सीधा प्रसारण होना चाहिए। मैंने यह भी मांग की थी कि लोकसभा और राज्य सभा की कार्यवाही का भी इसी तरीके से दूरदर्शन और आकाशवाणी से प्रसारण किया जाना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि जो राष्ट्रपति जी का संयुक्त अधिवेशन में अभिभाषण हुआ उसका सीधा प्रसारण दूरदर्शन के माध्यम से इस देश की जनता को दिखलाया गया।

रत्नाकर पाण्डेय जी ने एक चीज पर आपत्ति की कि इस सदन के एक माननीय सदस्य ने वहां जो कुछ भी किया उसको सीधा प्रसारण में नहीं दिखाया गया, वह क्यों नहीं दिखाया गया। मैं बहुत दुख से कहना चाहता हूं कि तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की जो हत्या हुई थी तो ठीक उसके दूसरे दिन उसकी जो भी खबर टेलीविजन में आ रही थी, दिखाया भी जा रहा था उसमें था कि खून का बदला खून से लेंगे। 31 अक्तूबर

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

को उनकी निर्मम हत्या हुई, मुझे ठीक याद नहीं है और 31 अक्टूबर की शाम को या पहली नवम्बर को, क्योंकि इस विषय को जो हमारी गृह परामर्शदात्री समिति है उसमें भी मैंने उठाया था, लोगों को दिखाया गया जो नारे लगा रहे थे कि खून का बदला खून से लेंगे और उसके बाद देश में क्या घटना घटी, कितनी बर्बर घटना घटी, कितने अमानुषिक कार्य हुए, किस तरीके से सामूहिक नरसंहार हुए। इसलिए कुछ न कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और यह सही है कि इस सारी कार्यवाही को रेगूलेट करना पड़ेगा। इसलिए डा० बापू कालदाते जी ने जो सुझाव रखा है कि इस संबंध में सभी पक्षों की गहन जांच करने के लिए एक समिति का गठन हो, यह सही बात है। एक समिति बैठे, समिति का गठन हो और समिति अपनी राय दे क्योंकि दिन भर संसदीय कार्यवाही दिखाना भी मुश्किल काम है। यह भी विचारणीय हो सकता है कि केवल जो प्रश्नकाल है उसको दिखाया जाये या कभी जो महत्वपूर्ण विषय है उनके ऊपर चर्चा की जाये। लेकिन यह सही है कि इस विश्व के बहुत से राष्ट्र हैं या उनकी संसदें हैं जहां कि संसद की कार्यवाही सीधे-सीधे दूरदर्शन पर दिखलायी जाती है। एक सेक्रेटरी जनरल आफ पार्लियामेंट है उनका एक सर्वेक्षण हुआ था। उसमें इस बात की जानकारी करायी गयी कि आस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, फेडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी, इजरायल, जापान, नैदरलैंड, नार्वे, पौलैंड, स्वीडेन, स्विटजरलैंड, यूगोस्लाविया, जायरे आदि ये सारी ऐसी संसदें हैं जहां दूरदर्शन से सीधा-सीधा प्रसारण होता है। इसके अलावा कुछ ऐसी संसदें हैं मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं उनका नाम लेकर जहांकि वहन की जो महत्वपूर्ण कार्यवाही होती है, उसको कभी-कभी दिखाया जाता है। तो मैं समझता हूं कि इस विषय पर—क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, यह बहुत ही अच्छा संकल्प है और मैं चाहूंगा कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री इस समय इस सदन में उपस्थित भी हैं...

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई): वह सब आपके हाथ में निर्भर है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय: उनको इस संबंध में कुछ आश्वासन देना चाहिए और मैं तो यह समझता था कि जिस तरीके से हर विषय में मंत्री जी को इंटरवेंशन का अधिकार है—वह अधिकार शायद सूचना और प्रसारण मंत्री को भी हो।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई): इसमें नहीं होता है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय: तो अगर ऐसा कुछ होता हो, तो अपने विशेष अधिकार का आप प्रयोग करें। मेरा आपसे अनुरोध है कि अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करिए। जो व्यक्ति सभापति की सीट पर बैठा हो, उसको तो नियमों को सस्पेंड करने का भी अधिकार होता है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): That will go against **the rules I do not** want **to** have bad **precedents.**

श्री सत्य प्रकाश मालवीय: मैं निवेदन कर रहा था कि जो व्यक्ति सभापति की कुर्सी पर बैठा होता है उसको तो नियमों को ससपेंड करके भी कार्यवाही चलाने का अधिकार है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि जो नियम हैं, उसके हिसाब से यदि चार से पहले—एक घंटा तो पहले ही खत्म हो गया है, चार बजे प्रधान मंत्री जी का जवाब शुरू हो जाएगा और केवल बीस मिनट बचे हैं और बहुत से माननीय सदस्य इसमें भाग लेना चाहते हैं, लेकिन आखिर सरकार की क्या इच्छा है, क्या मंशा है, सरकार क्या चाहती है, इसकी जानकारी भी तो सदन को होनी चाहिए और सदन के माध्यम से इस देश की जनता को होनी चाहिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई): मालवीय जी, इसीलिए मैंने शुरू से ही कहा था कि हमारे पास इतना ही टाईम है। तीन बज कर 45 मिनट तक यह चलेगा और 15 मिनट आप उनको दे सकते हैं। तो इसलिए सब मेम्बरान को कहा था कि आप ब्रीफ रहिए। मगर यह मेरे हाथ में नहीं है, प्राइवेट मेम्बर्ज़ कार्य डे है। ...(व्यवधान)... तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि ब्रीफ रहिए, समय कम है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय: लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि जनता दल और राष्ट्रीय मोर्चा का जो घोषणा-पत्र है उसमें इस बात को कहा गया है कि यह सरकार खुली सरकार में विश्वास करती है और टेलीविजन की अटानोमी की चर्चा डा० रत्नाकर पाण्डेय की बात सही है कि टेलीविजन, रेडियो की अटानोमी से उस विभाग की अटानोमी से मतलब है—सरकारी अधिकारी जो नौकरशाह है, उसकी अटानोमी से मतलब नहीं, उसको तो रोका जाए।

उसको तो रोकने का सरकार काम करे। विभाग की

अटानोमी होगी, विभाग की स्वायत्तता होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं डा० बापू कालदाते के संकल्प का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं और इस आशा और विश्वास के साथ कि सारा सदन एक राय होकर के इसका समर्थन करेगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई): अभी 18 मिनट बाकी हैं और दस सम्मानीय सदस्य बोलने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि मिनिस्टिर साहब कुछ जवाब दें, तो चार-दस मिनट तक बोलने की इजाज़त देता हूं। अगर आपको ही बोलना हो, तो वह नहीं बोल सकेंगे। यह आप तय कीजिए। अभी तो मैं बुला लेता हूं। अगर दो-दो मिनट बोलें, तो हो सकता है कि तीन-चार सदस्यों को मैं बुला सकता हूं। अगर आप चाहते हैं कि चार बजे तक यही डिसकस करना है, तो यह आप निर्णय लें।

चौधरी हरि सिंह (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, डा० बापू कालदाते जी का जो प्राईवेट मेम्बर रेजोल्यूशन है कि संसद की कार्यवाही को टेलीकास्ट किया जाए ताकि सब जगह प्रसारित किया जाए, यह बहुत ही सामयिक है और इसका एक शुभ संकेत भी मिल गया है और यह देश जब आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में जब बहुत सारी कानफ्रेंसेज़ होती हैं, उसमें भारत भी हिस्सा लेता है, तो उसका भी सीधा टेलीकास्ट विदेशों से देश में होता है और लोग उसको बड़ी दिलचस्पी से देखते और सुनते हैं।

तो यह आज जो आधुनिक समय की मांग है, यह बहुत उचित है और मुझको खुशी है कि हमारी जो पिछली सरकार थी, उसने भारत को आधुनिक बनाने में जो प्रयत्न किये, उसमें सब से बड़ा प्रशंसनीय प्रयत्न जो है, वह टेलीविजन का है जो सीधे गांव में जाकर आप देखें कि टेलीविजन भारी संख्या में हो गये हैं। तो राष्ट्रीय जो दिलचस्पी है, जो हिंदुस्तान की प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी है, वह लोगों के ख्याल में बड़ी डीप रूटिड है और वह जानना भी चाहते हैं कि संसद में हमारे नुमाइंदे क्या कर रहे हैं और यह उनका हक भी है कि उनको जानना चाहिए।

इसके लिए राष्ट्र तैयार है कि नहीं, यह भी सोचने की बात है। इसके लिए दो चैनल की जरूरत है। अभी केवल जो बड़े-बड़े शहर है, उनमें दो चैनल हैं, बाकी जगह पर चैनल नहीं हैं। तो यह कहीं ऐसा न हो कि पार्लियामेंट की जो कार्यवाही दिखाने के सिलसिले में कहीं हमारे जो स्कूलों और एग्रीकल्चर के लिए, महिलाओं के लिए बच्चों के लिए जो मनोरंजन के प्रोग्राम होते है या विदेश की चर्चायें होती हैं—मैं अपनी बात बहुत जल्दी खत्म कर रहा हूं—वह न रह जायें। यह बात हम विचारनी होगी। मुझको यह भी चिंता है कि अगर यह सारी संसद की कार्यवाही आने लगेगी टेलीविजन पर तो, मान्यवर, आपकी तरफ लोग कम देखेंगे, टेलीविजन कैमरा की तरफ ज्यादा देखते रहेंगे और हर वक्ता की कोशिश यह होगी कि मेरी जो फोटो है वह टेलीविजन की तरफ फोकस रहे। तो यह जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्ज़ की गरिमा है, जो उसका कंसेंट्रेशन है कहीं वह तो भंग नहीं हो जाएगा। यह सब चीजें बड़े गौर से देखने की बात है, लेकिन यह जरूर है कि इस आधुनिक युग में किसी बात को टाला नहीं जा सकता परन्तु इसमें बहुत ही चेता, बहुत ही काशस स्टैप लेने की आवश्यकता है। वह तभी संभव है, जो-जो इंपार्टेंट महकमें हैं, विभाग हैं उनकी जो बहस है, जैसे एग्रीकल्चर का है, विदेश के मामलात का है, होम विभाग है, इनकी जो बहस है, जो कार्यवाही है उसको दिखाना बहुत उचित रहेगा, जिससे कि राष्ट्र जान सकेगा कि हमारे नुमाइंदों का सचमुच क्या रोल है और किस तरह से वह हमारी बात को पेश करते हैं, क्योंकि टेलीविज़न पर सीधी कार्यवाही दिखाने से राष्ट्र के प्रति, प्रजातंत्र के प्रति, पार्लियामेंट के प्रति आस्था बढ़ेगी और उसके प्रति पब्लिक के अन्दर, जनता के अन्दर इसकी इज्जत बढ़ेगी, मान बढ़ेगा। मैं अपनी बात खत्म करते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर इसको करना है तो इसके लिए संसद् की एक ब्राड-बेस्ड कमेटी बनानी पड़ेगी जैसे कि संसद् की और कमेटियां हैं, उसी तरह की यह भी एक कमेटी होगी। उसमें देखना पड़ेगा कि ज़ीरो आवर दिखाया जाएगा या नहीं, उछल-कूद जो होती है वह भी दिखाई जायेगी या नहीं। अगर यह हुआ तो मैं कहना चाहता हूं कि इससे राष्ट्र के सामने हमारी संसद् की तस्वीर क्या होगी, मान्यवर, यह देखने और विचारने का प्रश्न है, इसकी प्लानिंग करना बहुत जरूरी होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो संसद् का जो मकसद है, उसकी प्रोसीडिंग का जो मकसद है वह खत्म हो जाएगा। इस मौके पर मैं ज्यादा न बात करते हुए कहना चाहता हूं कि एक कमेटी का बनाया जाना बहुत जरूरी है जैसे संसद् की और कमेटियां हैं। यह बैठ करके बाकायदा उसको सर्वसम्मति से बनाएं जिससे देश के अन्दर संसद् की गरिमा के साथ उसकी तस्वीर और उसकी प्रोसीडिंग्ज़ और उसके नुमाइंदों का सही स्वरूप भारत की जनता के सामने प्रस्तुत हो सके, तभी यह सब हो सकता है। जल्दी में कोई स्टैप

[चौधरी हरि सिंह]

ले लेना, यह मैं समझता हूं कि बहुत ही इस देश के हित में, संसद् के हित में और उनके नुमाइंदों के हित में नहीं होगा। यह सब देखना बहुत आवश्यक है। धन्यवाद।

SHRI GHULAM RASOOL MATTO (Jammu and Kashmir): Mr. Vice-Chairman, Sir, I am on a point of order. Dr. Bapu Kaldate is here. We all know what will be the reply of the Minister to this debate. Everybody has preconceived idea of what the Minister will say. May I, therefore, suggest to Dr. Bapu Kaldate that if it is not decided before 4 o'clock, it will go to the next session and ...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): It cannot go. It is a Resolution. It will lapse.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: It will lapse. So, it is in his interest to curtail the debate and ask for a Division.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Never in the Private Members' Business, we will do that. Now, Dr. Thulasi Reddy.

SHRI P. SHIV SHANKER (Gujarat): What he meant is that he would like to here the Minister.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): That is why I requested earlier. I think, the Prime Minister is coming late. We can extend some more time for this.

SHRI P. UPENDRA: The Constitution (Amendment) Bill is voted upon in the Lok Sabha. He will take a few minutes to come here. Till that time, we can continue, and I will react to this.

SHRI P. SHIV SHANKER: You see how co-operative we are.

SHRI P. UPENDRA: I know.

श्री वी० सत्यनारायण रेड्डी (आन्ध्र प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, डा० बापू कालदाते ने संसद् की कार्यवाही को टेलीविज़न पर दिखाने के संबंध में जो प्रस्ताव रखा है उस प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं और इसके बाद इस संबंध में मेरे जो विचार हैं उनको आपके सामने संक्षेप में रख दूंगा, क्योंकि यह तो सही है कि टेलीविज़न के जरिए संसद् की कार्यवाही को दिखाने के लिए जनता की मांग है और यह मांग बढ़ती जा रही है और जो नई सरकार बनी है वह टेलीविज़न को और आल इंडिया रेडियो को खुद-मुख्तार बनाने के संबंध में अपना विचार रखती है। इसके साथ-साथ वह यह भी सोचती है कि टेलीविज़न के जरिए संसद् की कार्यवाही को भी दिखाया जाए ताकि जो लोगों के नुमाइंदे हैं जो संसद् में बैठ कर अपनी कार्यवाही करते हैं, जनता की समस्याओं के बारे में सोचते हैं, अपने विचार रखते हैं या जिस ढंग से वह व्यवहार करते हैं, यह सब जनता जानना चाहेगी तो यह एक अच्छी बात है। बापू कालदाते जी ने इस प्रस्ताव को लाकर बहुत अच्छा काम किया है और सब से पहले यह जो दोनों सदनों की कार्यवाही को टेलीविज़न के जरिए सब से पहली बार मंत्री महोदय ने और नई सरकार बनने के बाद जो शुरुआत की है उसकी प्रशंसा हुई है और हम चाहते हैं कि संसद् की कार्यवाही को दिखाया जाए। लेकिन इसके साथ-साथ इसके अंदर कुछ खामियां, कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, जिन पर हमें सोचना है। जैसा अभी पाण्डेय जी ने कहा कि उस दिन राम अवधेश जी को नहीं दिखाया गया। दिखाया जाय तो पाण्डेय जी तो रोजाना खड़े हो जाएंगे, हल्ला मचाएंगे ताकि रोजाना उनका चेहरा टेलीविज़न पर दिखाया जाय। तो इन चीजों से बचना चाहिए।

महोदय, संसद् की कार्यवाही तो जरूर दिखाई जाए, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं उनको जनता के सामने हमको दिखाना नहीं है। इससे जनता अपनी राय बनाएगी कि हमारे चुने हुए सदस्य किस ढंग से संसद् में, सदन में हमारी समस्याओं के बारे में सोचते हैं, काम करते हैं, यह सब खुले तौर पर जनता के सामने आ ही जाएगा। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम चाहते हैं कि इस कार्यवाही को टेलीविजन के जरिए से दिखाने में कोई नुकसान नहीं है। इसके साथ साथ जैसा पहले ही प्रस्ताव में कहा गया है कि इंग्लैण्ड, ब्रिटिश पार्लियामेंट में और अमरीका तथा दूसरे देशों में भी इस चीज को अमल में लाया गया है और लाया जा रहा है।

महोदय, कालदाते जी ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि इसके लिए एक समिति का गठन हो। इस संबंध में मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि समिति का गठन करने में कोई नुकसान नहीं है। समिति तमाम चीजों के बारे में विचार करेगी कि कार्यवाही को टेलीविज़न पर दिखाया जाये या न दिखाया जाये। इस समिति में संसद् के नुमाइंदे होंगे, पत्रकारों के नुमाइंदे होंगे और दूसरे जो

इसमें हुनर रखने वाले हैं उनके नुमाइंदे होंगे और सभी मिलकर इस पर विचार करेंगे। मैं मंत्री महोदय से उम्मीद करता हूं कि वे इस प्रस्ताव को मानेंगे। शुक्रिया।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई): श्री राम चन्द्र विकल।

श्री वीर भद्र प्रताप सिंह (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं एक विरोध करना चाहता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई): मैंने विकल जी को बुलाया है। नाम के मुताबिक बुलाऊंगा।

श्री राम चन्द्र विकल: उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार मानता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया और बापू कालदाते जी का भी आभार मानता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक यहां पर प्रस्तुत किया है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, जनतंत्र जो है, सबसे अच्छी राज-प्रणाली है और इसका जितना प्रचार-प्रसार हो वह बहुत ही अच्छा है। मैं आजकल युवा-संसद् का काम कर रहा हूं सारे देश भर में और आज सौभाग्य से देश के हर प्रांत में युवा-संसद्, बच्चों की संसद् हमारी नकल करती है, देश-विदेश की सारी चर्चाएं करती है। युवा-संसद् की कार्यवाही को पिछले दो साल से टेलीविज़न पर दिखाया जा रहा है। इसके लिए मैं यह कहने को तैयार हूं कि युवा-संसद् की जो कार्यवाही टेलीविज़न पर गत् दो सालों से दिखाई जा रही है, उस पर हमारे देश की जनता की बहुत अच्छी प्रतिक्रिया हुई है। ...**(व्यवधान)**...

युवा-संसद् में स्कूल-का लेज के बच्चे होते हैं, जो हमारी नकल करते हैं, कोई प्राईम-मिनिस्टर बनता है, कोई लीडर आफ दी आपोजीशन बनता है और कोई अध्यक्ष बनता है। यह 1971 से शुरू हुआ, लेकिन पिछले दो सालों से हमारे देश की जनता को यह देखने का सौभाग्य मिल रहा है। जब युवा-संसद् की कार्यवाही हम टेलीविज़न पर दिखा सकते हैं तो वास्तविक संसद् की बड़ी आसानी से दिखा सकते हैं। यह हमारे व्यवहार पर निर्भर है कि पक्ष कैसा प्रदर्शन करता है और विपक्ष कैसा करता है। अगर हम गलत हैं तो देश की जनता को फैसले का मौका होगा कि कौन आदमी गलत काम कर रहा है, कौन पार्टी गलत काम कर रही है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, ऐसे कुछ प्रगतिशील देश हैं, जहां चुनाव के वक्त जो उम्मीदवार हैं, पार्टियां हैं, वे अपना घोषणापत्र घोषित करते हैं, देश की जनता को बता देते हैं और कोई भी कन्वेसिंग करने जाता नहीं। इससे भी एक जनमत बनाने का मौका मिलता है। अगर जनमत हमारे इन दोनों सदनों से बन जाये, लोकसभा और राज्यसभा से, तो उसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। मुझे भी सही बात कहने में संकोच नहीं है कि जन-भावनाओं को समझने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वह पक्ष में हो या विपक्ष में, गलत प्रदर्शन नहीं करेगा क्योंकि वह डरेगा देश की पब्लिक से। देश की पब्लिक हमसे ज्यादा समझदार है और अगर कोई देश की पब्लिक को गलत समझता है, नासमझ समझता है तो मैं समझता हूं कि वह खुद नासमझ है। पब्लिक हमसे ज्यादा समझदार है, वह खुद फैसला करेगी।

इसलिए में कहूंगा कि यहां की कार्यवाही को निर्भीकता पूर्वक दिखाना चाहिए और जनता को अपने आप फैसला करने दीजिए। दूसरे देशों की पद्धति पर बापू कालदाते जी ने बड़ा विस्तृत भाषण दिया। मुझे लगता है कि उन्होंने इस बारे में बड़ी खोज की है। उन्होंने बड़ी खोज की है। वे स्वयं इसके बड़े समर्थक हैं। फिर भी उन्होंने एक सावधानी बरती है कि एक सर्वदलीय कमेटी दोनों सदनों की बनायी जाए और वे फिर सोचने का मौका दे रहे हैं। मैं चाहूंगा कि वे इस विधेयक को सर्वसम्मत रूप से पास कराएंगे। मैं हमारे सूचना प्रसारण मंत्रीजी से जोकि हमारे संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वे इस संकल्प के बारे में आज ही लोगों के सुझाव लेकर पारित करवाएं। मैं तो यहां तक कहने के लिए तैयार हूं कि प्रधान मंत्रीजी के वक्त को थोड़े समय के लिए टाला जा सकता है इस बारे में गैर-सरकारी सदस्यों की बात होनी ही चाहिए। इसके लिए दो घंटे तो मिलने ही चाहिए। आप हमें 12 बजे तक बिठाएंगे और हमारे सदन के गैर-सरकारी सदस्यों का समय भी ले लेंगे, यह उचित नहीं होगा। मैं संसदीय कार्य मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि आप तो गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के बड़े हिमायती रहे हैं। इसलिए आज के हमारे गैर-सरकारी काम को पूरे समय तक चलने दें और प्रधान मंत्री जी का जो समय है, उसे थोड़ा-सा टाल दें। हाउस का कोई भी सदस्य इस संकल्प के विरोध में नहीं है। हम सभी कालदाते जी के प्रस्ताव के समर्थक हैं। उन्होंने भी कोई कसर नहीं रखी है। मैं हृदय से इस रिजोल्यूशन का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि चूंकि कोई लैप्स न हो जाए इसलिए आप इसे पास कर दीजिए। यह सर्वसम्मति से पास होगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। हालांकि पाण्डेय जी को कुछ शंकाएं हैं। मुझे उम्मीद है कि जब वह पास

[श्री राम चन्द्र विकल]

होगा तो वे भी विदड्रा कर लेंगे और इस संकल्प से अपने आपको जोड़ेंगे।

मैं कालदाते जी को पेशगी बधाई देता हूं और पास होने के बाद वे फिर बधाई ले लें।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Mr. Ish Dutt Yadav,

SHRI A.G. KULKARNI (Maharashtra): Mr. Vice-Chairman, Sir, just three minutes. *{Interruptions)*

Sir, I am grateful to Dr. Bapu Kaldate who has brought this Resolution. Personally, I am not much enamoured of television because of our culture and heritage. It is true that the technology has to be improved, but I am personally not much enamoured. However, the Resolution which Dr. Kaldate has brought is necessary. What is happening now? I am not casting any aspersions on any political party. But televising the proceedings would, perhaps, improve the working of the House. This is what I feel.

Sir, as you know, I am a Member of this House right from 1966 or 1967 — I do not remember exactly. I have seen stalwarts sitting here and 1 have also seen the distinguished persons who occupied the Chair before. I have seen Dr. Zakir Hussain. I have seen Mr. Jatti and others. But I have not seen Dr. Radhakrishnan. Just the tapping of a pencil would indicate to the hon. Member concerned that he has to stop his speech. But what is happening nowadays? The Chair has to use the gravel many times. On that day, I saw how you were, all along, hitting the gravel and I was afraid that, perhaps, the glass-pane may be broken. *{Interruptions).* This has to be seen by the people outside. Sir, I * have heard the speeches made by hon. Members. I have seen their calibre. I am not casting any aspersions here on anybody. But the time has come because, lung power has become the order of the day and the brain power has been relegated to the back, only a person who has the lung power can carry the day. A person like me, who has been operated upon, who has undergone a bypass surgery, cannot make any impact at all. I think this new technology has to be introduced in regard to the working of both the Houses. I do not know why it is happening, but the fact is that there is a race between various hon. Members to make their point clear, to make their point heard. Or perhaps, they are using the lung power to bring it to the notice of their leader that they are working very efficiently in the House. I do not wish to cast any aspersions, but the entire working system of this House has deteriorated. So, with folded hands I request you, my colleagues on both the sides of the House, that the parliamentary system has to be improved. Otherwise, our children will imbibe bad manners while behaving in the House.

4.00 P.M.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): I think the whole House appreciates your views. Yes, Mr. Ish Dutt Yadav.

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, डा० बापू कालदाते जी ने जो इस सदन में संकल्प प्रस्तुत किया है मैं उसका हृदय से स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं।

महोदय, यह बहुत ही आवश्यक है कि संसद के अंदर जो कार्यवाही हो रही है उसका उसी समय देशवासियों को ज्ञान हो सके। वह जान सकें कि संसद् के अंदर क्या कार्यवाही हो रही है और संभवतः जब इस तरह की व्यवस्था संसद मे हो जाएगी तो हममें से बहुत से लोग संयमित भाषा का ही प्रयोग किया करेंगें ताकि देशवासी ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्यः पाण्डे जी कहां जाएंगे?

श्री ईश दत्त यादवः मैं इसीलिए कह रहा था कि पाण्डे जी, अहलुवालिया जी, ऐसे लोग जो हैं ... (व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई): लोग नहीं, सम्माननीय सदस्य।

श्री ईश दत्त यादवः सम्माननीय पाण्डे जी, अहलुवालिया जी, ये लोग संयमित भाषा का प्रयोग करने लगेंगे क्योंकि देश के लोगों से यह भयभीत रहेंगे

और उनके सामने इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JA6ESH DESAI): Do not single out two Members only.

श्री ईश दत्त यादव: मैंने सबके लिए कहा, अपने लिए भी कह रहा हूं।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, डा० बापू कालदाते जी का जो संकल्प है इसमें एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहता हूं। दूरदर्शन के साथ-साथ रेडियो से भी संसद की कार्रवाई का प्रसारण होना चाहिए और जिस तरह से खेल वगैरह की रनिंग कमेंट्री होती है, उस तरह से संसद की भी कार्रवाई चलनी चाहिए, इसका भी प्रसारण होना चाहिए क्योंकि सभी लोगों के पास टेलिविजन सुलभ नहीं है। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि इसमें यह भी जोड़ लिया जाए कि यहां की कार्यवाही का रेडियो से भी प्रसारण होना चाहिए।

मान्यवर, मैं अपनी सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि इस सरकार ने यह संकल्प लिया है और हमारे सूचना व प्रसारण मंत्री बैठे हुए हैं, यह भी बधाई के पात्र हैं कि हमारा मीडिया जो है वह स्वतंत्र और निष्पक्ष रहेगा। भूतकाल में बड़ी कठिनाइयों का सामना देशवासियों को करना पड़ा है और देश के लोग, जब पिछली सरकार थी, उस समय मजबूर हो गए थे टी०वी० को अलग रख देने के लिए, डिसकनेक्ट करने के लिए। टी०वी० पर कुछ सुनना और देखना नहीं चाहते थे क्योंकि बार-बार एक ही बात, एक ही संदेश, कोई देश के सामने निष्पक्ष समाचार नहीं आते थे। इसलिए मैं अपनी सरकार को और सूचना और प्रसारण मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जो घोषणा की थी चुनावों के पूर्व और जिसके लिए हम लोगों ने आन्दोलन किया था, सत्याग्रह किया था और हम लोग जेल भी गए थे इस सवाल को लेकर कि मीडिया इस देश में स्वतंत्र होना चाहिए और उस पर किसी एक व्यक्ति का या सरकार का इस तरह से नियंत्रण नहीं रहना चाहिए कि मीडिया निष्पक्ष रह सके। सरकार ने इस ओर कदम बढ़ाया है जो प्रशंसनीय है। मैं इसके लिए हृदय से सरकार को धन्यवाद देता हूं।

PROF. CHANDRESH P. THAKUR (Bihar)- Thank vou, Mr. Vice-Chairman. I shall be very brief.

There is no doubt that public opinion is interested in what is happening within the Parliament. We are also interested in reaching out to the general public and public curiosity in what and how we are deliberating and is also growing. Television is one of the media for establishing linkage between the Parliamentary proceedings on the one hand and the general public on the other.

Now there are several problems. One problem is, how much total telecast time is available and what is the possibility of its being extended still further? What are the revenue and cost implications of that?

Having established the total telecast time, then you run into the problem of content balance, because in the country the curiosity is not confined only to parliamentary proceedings. There is variety of interests and priorities in these interests differ from the national point of view from time to time. So we will run into another question of choice of what should be the content balance.

Still further, we know that we want news, views and what my friend, Dr. Ratnakar Pandey said, 'gyan', i.e. knowledge, apart from information, something which helps you to grow your knowledge. UGC has a scheme which is being telecast for the benefit of schools and subjects interest groups in general public. I would like that this programme should not be compromised and out of the total telecast time, more time and priority, by perhaps having an additional channel, should be given to the educational content because political knowledge is important, but never sufficient for any nation-building activity. Substantive, relevant, rich exposure to some of the things which normally people are not able to get on their own, is very important.

At the same time, when it comes to the question of telecasting parliamentary proceedings, we have several aspects. One is what we speak. The other is how we speak. And the third is, collectively what kind of a deliberative mechanism we are trying to develop around this Parliament.

[Prof. Chandresh P. Thakur] People are interested to know whether telecasting will bring inhibition or moderation in our behaviour. That is a kind of double-edged weapon. If it inhibits the free flow of articulate behaviour, then it is not good. If it is a deliberate posturing, then we are being dishonest to ourselves and to the people who are watching our behaviour. We have to ask the question: how are we going to increase dissemination and public awareness with regard to the content and style of parliamentary deliberations on the one hand and the need for a free flow of uninhibited expression of opinion from individuals and groups of individuals of one political persuasion or the other? I am not sure if all these aspects have been examined. As Dr. Bapu Kaldate has said, even in the countries where these things are being done, it is not still fully open; it is a selective beginning. In our first step toward selective beginning, we found that there was need for state intervention. So we have to ask whether the Government intervention should be there or not. We do not know what is their formal position. But as those who were a part of the proceedings and were watching what was going on, we did discover from our family members that a part of the proceedings was edited out.

Now those kinds of discretionary occasions will come when it comes to focussing the camera on one or the other aspect or giving priority to one or the other. What is the code, what kind of moral code are we going to have, and who will make it in making the choice with regard to allocation of time in terms of sequencing of presentation or degree of exposure? Who will be given deep exposure, and who will be given less? Will Mr. Upendra get a deeper exposure and I will get no exposure and only my voice will come? These questions will be delicate to handle. In spirit I support the Motion. Bui I would like to submit that any concrete steps towards this must take into consideration ail these aspects.

The last point, Mr. Vice-Chairman, I would like to say is that whatever adds to nation-building or deepening of the democratic polity in this country is welcome. Parliament is the apex democratic institution. Only to the extent this step is going to strengthen the parliamentary institution and improve its quality, it should be encouraged. If there is a risk of inhibiting it or destroying its public image, then, one has to be vary cautious about it.

So, with these considerations, if a committee is made, then, a problem can be examined. Media experts are not necessarily experts on the question of what should be telecast, how much should be telecast so far as parliamentary proceedings are concerned. A much onerous body of opinion must be represented in that committee so that it is able to apply its mind on all the ramifications involved before making any recommendation.

Thank you very much.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Shri Ram Awadhesh Singh. He has promised that he will not take more than three minutes.

श्री राम अवधेश सिंह: माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं। मैंने तीन मिनट कहे थे लेने के लिए। हो सकता है एक-दो मिनट इधर-उधर हो जाए।

श्रीमन्, संसद की कार्रवाई की सीधे प्रसारण से जो गहरा सवाल जुड़ा हुआ है उसकी ओर मैं सदन का ध्यान खींचना चाहता हूं। सदन की संस्था जो सर्वोच्च सत्ता सम्पन्न संस्था है उससे ऊपर कोई और संस्था इस देश में नहीं है। आज तक जो प्रतिनिधि सवाल उठाते रहे हैं, हम लोग उठाते रहे हैं तो इसका हश्र यह होता था कि यहां पर उठाये गये सवाल के ऊपर भी सरकार कार्रवाई नहीं करती थी और हमारे मालिक यानी जनता जो हमें यहां भेजती थी चुन कर उनको इस बात का पता नहीं होता था कि हमारे प्रतिनिधियों ने कोई सवाल उठाया भी है या नहीं। सरकार और ब्यूरोक्रेसी, उन सवालों को जो यहां उठाये जाते थे उनको दबा देती थी। जो सरकार के पक्ष में नहीं होते थे उनको दबा दिया जाता था। इस बात से कुछ खुशी होगी जब जनता सीधा प्रसारण देखेगी कि जिस

सवाल को कहा था प्रतिनिधियों को उठाने के लिए वह सवाल उठाया गया या नहीं और अगर उठाया गया और सरकार उस पर कुछ नहीं कर रही है तो सरकार के खिलाफ जनमत बनेगा। यह जनतंत्र की सफलता की गारण्टी होगी। क्योंकि जब सदन में सवाल उठेगा और सरकार उस पर विचार नहीं करेगी तो जनता उसको सीधा देखेगी कि हमारे प्रतिनिधि ने सही सवाल उठाया और सरकार इस काम को नहीं कर रही है तो जनता का मन यानी मालिकों का मन सरकार के खिलाफ बनेगा। (व्यवधान) पांच साल बाद तो दूसरी बात है, अभी तो शुरूआत ही हुई है। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। यह प्रस्ताव बुनियादी तौर पर जम्हूरियत को मजबूत करने वाला और सरकार को कठघरे में खड़ा करने का कदम है...(व्यवधान) यह इसलिए नहीं दिखाया कि पिछली सरकार की लीगसी चल रही थी, लेकिन अगर पिछली सरकार की लीगसी कायम नहीं रहती तो वे जरूर दिखाते। उनको डर था कि प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति के साथ किसी मुद्दे पर सदन में कोई सदस्य लड़ रहा है और उसको दिखाएंगे तो उनको बुरा लगेगा, इसलिये उन्होंने यह काम किया।

डा० रत्नाकर पाण्डेय: माननीय सदस्य गलत सूचना दे रहे हैं। यह बात अखबारों में आई कि उन्होंने कहा कि अगर इसको टेलीविजन पर दिखाते तो अशिष्टता प्रस्तुत होती, माननीय सदस्य का जो एक्शन था, इसलिए उसको रोका गया, वर्जित किया गया।

श्री राम अवधेश सिंह: उनकी बात छोड़ दीजिये, वे अपने ढंग के आदमी हैं, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है।

महोदय, इन्होंने मेरे तीन मिनट ले लिये हैं। अभी मेरे डेढ़ मिनट बाकी हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस काम में सरकार को विलम्ब नहीं करना चाहिए क्योंकि सरकारी पार्टी के लोग जब भी उठते हैं तो इस बात के लिए बोलते रहते हैं कि हम जेल गये हैं, हमने आन्दोलन किया है जिसकी वजह से यह सरकार आई है। मैं अनुरोध करता हूं कि इस प्रस्ताव के अनुकूल आप व्यवस्था करें ताकि सीधा प्रसारण हो। मैंने शुरू में एक जुमला इस्तेमाल किया था कि इससे जम्हूरियत मजबूत होगी और जनता के, मालिकों के और संसद के सदस्यों के तालुकात सीधे होंगे। सरकार पर जनता का नियंत्रण बढ़ेगा। यह जम्हूरियत को मजबूत करने के लिए बहुत ही सराहनीय कदम है। अगर इससे सरकार बैक आउट करेगी, इफ और बट लगाकर मंत्री जी जवाब देंगे तो मैं समझूंगा कि यह सरकार जनता के साथ दिये गये वायदों और वचन के साथ वचनघात कर रही है।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई): अभी दो सम्मानित सदस्य बोलने वाले और हैं, श्री सुकुल जी और श्री कमल मोरारका। वे केवल पांच मिनट ही बोलेंगे।

श्री पशुपति नाथ सुकुल (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष जी, मैं डा० बापू कालदाते जी को बधाई देना चाहूंगा क्योंकि वे बहुत ही सुन्दर संकल्प हमारे विचारार्थ लाये हैं। जैसी कि प्रतिक्रिया आपने देश की जनता की देखी होगी जब राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को सीधे प्रसारित करके टेलीविजन पर दिखाया गया तो सब ने खुले दिल से उसका स्वागत किया। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को प्रसारित करने के बाद टेलीविजन पर एक परिचर्चा हुई थी, उस चर्चा में मैंने भी भाग लिया था और यह कहा था कि यह एक अच्छा कदम है, स्वागत योग्य कदम है और इसका सीधा प्रसारण किया जाना चाहिए। हमारे कुछ लोग डरते हैं, हो सकता है कि वे हल्ला मचाते हों या गाली-गलौज होता हो और वे सोचते हैं कि इसको लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। मैं समझता हूं कि हमारे मतदाता को यह अधिकार होना चाहिए कि अपने प्रतिनिधियों के बाहर और सदन में बर्ताव को देखें ताकि अगर उनका बर्ताव अच्छा नहीं है तो उनको अगली बार न चुनें। इसलिए बिलकुल निर्भर होकर निश्चित रूप से सीधा प्रसारण सही-सही बिना किसी इफ और बट के होना चाहिए। संकल्प में कहा गया है कि तमाम विकसित देश कार्यवाही का सीधा प्रसारण करते हैं। हम विकासशील देश होते हुए भी कहा जाता है कि वी आर दी मोस्ट डेवलप्ड अमंग डेवलपिंग कन्ट्रीज। हम डेवलप्ड होते जा रहे हैं और हमें होना है। यह बहुत अच्छा कदम है। जैसा कि ठाकुर साहब बोल रहे थे इसके लिये एक अलग चैनल होना चाहिये क्योंकि आपको दिन भर की कार्यवाही दिखानी है। आप को ज़ीरो आवर भी दिखाना है, क्वेश्चन आवर भी दिखाना है। आप इसको पूरा दिखायें। अभी कुछ वर्ष पूर्व जो रूल कमेटी है इसमें यह मसला आया था। मैं उस समय उस समिति का सदस्य था। मैंने उस समय इसका स्वागत किया था कि यह बहुत अच्छा कदम है। इससे लोकतंत्र मजबूत होगा। इससे जनता अपने प्रतिनिधियों के कारनामें देख सकेगी। हमारे यहां साल भर में लाखों-हजारों दर्शक भी इसको नहीं देख पाते

[श्री पशुपति नाथ सुकुल]

होंगे। हमारी 80 करोड़ की जनता है जो हमको चुनती है। वह अपने घर में बैठकर सांसदों के व्यवहार और उनके भाषणों को सुन सकेगी। इससे वे यह जान पायेंगे कि संसद में क्या होता है और इसकी उन्हें सीधी जानकारी मिलेगी। उनको अपने प्रतिनिधियों के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। इसलिये मैं अधिक न कहते हुए इसका हार्दिक समर्थन करता हूं और जो संयुक्त प्रवर समिति को गठित करने का इसमें प्रस्ताव है, मैं चाहूंगा कि अगर हमारे मंत्री महोदय इसको तुरन्त नहीं मानते हैं, सीधे प्रसारण को तो कम से कम वे इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करने का तुरंत निर्णय ले लें।

श्री राम अवधेश सिंह: प्रवर समिति ... (व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई): मिनिस्टर बनायेंगे।

SHRI KAMAL MORARKA (Rajasthan): Sir, I wish to take only two - minutes of the House. Thank you very much. Sir, the purpose of T.V. we were told is three-fold, to give information, education and entertainment. Sir, I am unable to find in what category parliamentary proceedings would come. If it is for the purpose of information, Sir, I submit that televising the President's Address, televising some policy statements of the Prime Minister or the budget speech of the Finance Minister would suffice. If it is a question of education of the parliamentary system, Sir, I think, It is a case of "physician heal thyself". First we have to improve the functioning of the House. I have been a Member for less than two years. Sir, in my childhood I had come to the galleries. I had seen the Parliament in which Jawaharlal Nehru was sitting, Mavalankar was presiding, Ananthasayanam Iyengar was presiding. Sir, I am sorry to say that the Parliament of which I am a Member is not a shade of what I had seen from the galleries, where I thought history was in the making. I am part of a Parliament where there is chaos. Now unless we improve our own functioning, I do not think we should disseminate this kind of performance to the public because the image of Parliament in the eyes of the public would not go up. It will be lowered.

Sir, only the third category it can fit in is entertainment.'Now, Sir, since T.V. will become autonomous, if the autonomous T.V. feels that their viewers feel this will be better entertainment than a Hindi film or a *Chayageet* programme, certainly they can put the proposal and we can consider. I do not think, at the moment, we are in a position where we should encourage this. We should first try to bring Parliament to the level of the first Lok Sabha or the second Lok Sabha and then we should talk further of disseminating our great performance to the people. Thank You.

SHRI P. UPENDRA: Mr. Vice-Chairman, Sir, at the outset I would like to thank all the hon. Members for their valuable suggestions not only in regard to the suggestion or the need for televising proceedings of the Parliament but also with regard to the general functioning of the media. Sir, we believe in an open society and an open Government. Therefore, I have no hesitation in saying that I fully and whole-heartedly support the spirit of the Resolution tabled by Bapu Kaldate. In fact, when I was a Member of the General Purposes Committee of this House, I strongly supported the proposal for televising the proceedings of the Parliament and because we recognise the strength of this argument, we have taken the initial step in getting the President's Address televised in the Central Hall.

This is a good beginning which has been widely welcomed by all and for this my Ministry was the Ministry which initiated the proposal but decision ultimately lay with the Presiding Officers of the two Houses under whose control the Parliament is. It does not, in fact, fail in my

jurisdiction to decide whether the proceedings should be televised or not and I am grateful to the Chairman of Rajya Sabha and the Speaker of Lok Sabha as well as the hon. President, who readily

agreed to the proposal and gave the permission for telecasting the proceedings. As I said, it was a beginning.

As regards televising the full proceedings of both Houses of Parliament, there are precedents and examples of various countries where the proceedings are televised fully or partly—somewhere the whole proceedings, somewhere the substance, the summary. Now, while I welcome the proposal, I would like to place some of the problems and the issues involved because ultimately the General Purposes Committee of both Houses, they will have to take a decision in this matter. I would like to point out certain problems inherent in this proposal. One is, unlike in many countries, we have one National Channel on the Television, only one and four Second Channels in four metropolitan cities. The first question will arise, what time you will prescribe for these proceedings, how much time and what programmes will be cut to accommodate the Parliamentary proceedings? That will be the immediate problem until we have a Second National Channel.

And as the hon. Members have suggested, there is a programme going on now in Parliament, both in Radio and Television. There was a suggestion that instead of the narration, you can increase the time and make it visual. But there also the problem arises how to summarise, whom to show, whom not to show and who will decide that and everyday privileges motions will be coming? Who will decide these matters, that problem also is there? Even if you agree for televising the proceedings, it is ultimately the Parliament Secretariat which has to take responsibility for all this-what to telecast, what not to telecast and my Ministry can only provide the equipment, the staff and the technical experts and all that. But ultimately somebody in the Parliament and the Parliament Secretariat, under the control of the Presiding Officers, have to guide what should be taken and what should not be taken and I do not know whether the Presiding Officers in the Parliament are right now in a position to give such draft. That is also another point which has to be considered. *(Interruptions).* I am part of this. I will lend my support but I am not the decision-taker. As regards the cost, the entire cost has to be borne by the Parliament. Therefore, Parliament should also express its willingness to do that. I am giving the practical difficulties and the problems involved. Initially, I have said, I am in favour of that and the resolution says that a Committee be appointed with the Members of Parliament, media experts etc. etc. I do not think any separate Committee is necessary with outsiders to decide a matter relating to Parliament. We have a number of Committees. We have the General Purposes Committee which is meant for this very purpose. Therefore, I would place the views of the hon. Members in the next meeting of the General Purposes Committee and I strongly plead for televising the proceedings and I will convey the sentiments of the hon. Members. Sir, there was a suggestion also that in the interrugnum, until we take a final decision we can take another step towards the Budget or major policy statements of the Government or, as yesterday some Members mentioned, important speeches of the leaders of the Opposition. Some of them can be televised. Right now, I cannot commit, Sir. But they are good suggestions. Surely I will consider them and in consultation with the Presiding Officers, we will take the next steps.

Sir, Mr. Ratnakar Pandey raised a number of issues relating to the other aspects of my Ministry. I will reply to them a little later. Before that, I would like to clarify one point. That is in regard to the alleged blacking out of the incident in the Central Hall on the 20th December during the President's Address. I categorically deny that any orders were issued from my Ministry to black out any proceedings. *(Interruptions)* The days of ministerial orders are gone. We are not giving any orders to the media on any

a Committee to examine [Shri P. Upendra] subject ...*(Interruptions)*... on current affairs, on news or on anything. If the hon. Members have got any doubt—the same staff are working in the Doordarshan and Radio—they can verify whether the Minister or anybody from the ministerial side or the Prime Minister's office has ever telephoned to black out or include any item ...*(Interruptions)*.

SHRI N.K.P. SALVE (Maharashtra): Mr. Minister, will you yield for half a minute? If that is really so, do you think it was dereliction of duty on the part of the television cameramen not to faithfully record the proceedings? That is question No. 1. Question No. 2 is: If it was dereliction of duty on their part, will you promise the House to take action against them?

SHRI P. UPENDRA: Sir, when the decision was taken, Doordarshan staff were asked to contact the Secretary-General of the Lok Sabha who was organising the function, to take his advise how it should be done. I do not know what the Secretary-General had ordered. I have no authority to question his order also. *(Interruptions)*.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: You just mentioned that you have absolutely no control on the media. *(Interruptions)*.

SHRI P. UPENDRA: No. *(Interruptions)* .

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: Yesterday, the deader of the Opposition spoke for two and a half hours. Do you know how much time the radio and the television gave in covering the whole proceedings? Not even one minute. *(Interruptions)* .

SHRI N.K.P. SALVE: Mr. Vice-Chairman, I will expect the courtesy of a reply directly. Don't skirt the subject. You don't want to tell us that the Secretary-General, either of the Lok Sabha or of the Rajya Sabha, will have the authority to tell them what to photograph and what not to photograph.

Parliament proceedings

SHRI P. UPENDRA: Sir, it was a live telecast. Nobody could anticipate Mr. Ram Awadhesh Singh would get up and say something. Therefore, no advance orders could be given in this respect. How could we know that he **would get up** and ...*(Interruptions)*.

SHRI P. SHIV SHANKER: If he speaks for quite a considerable time?

SHRI N.K.P. SALVE: Will you haul them up for dereliction of duty? *(Interruptions)*.

श्री सुरेन्द्र सिंह (हरियाणा): अगर कोई इनफारमेशन एण्ड ब्राडकास्टिंग मिनिस्टर लोक सभा से होता ...(व्यवधान)

डा. रत्नाकर पाण्डेय: ...(व्यवधान) मंत्री महोदय इस पर एक्शन लेंगे कि नहीं। यह साफ बतायें ...(व्यवधान)

SHRI MAKHAN LAL FOTEDAR (Uttar Pradesh): Upendraji, when you were in the process of decision-making, if you were told that there were good people like Mr. Ram Awadhesh Singh and they were-likely to raise this question, what would be your attitude? I am just asking this question because I have witnessed him in the House.

SHRI P. UPENDRA: Sir, I always hold hon. Members in high respect. I could never anticipate that they would raise such issues and I could not expect that certain Members would behave in a certain manner and give instructions. *(Interruptions)*.

SHRI MAKHAN LAL FOTEDAR: The question is very simple. Mr. Ram Awadhesh Singh raises some question in the presence of the President of India. It was the President's Address. What was the difficulty with the Government or the Information and Broadcasting Ministry in projecting that thing before the people, because he represented the wishes of the people at that time?... *(Interruptions)* ...

SHRI P. UPENDRA: I will explain it; I will explain it ...*(Interruptions)*... I will explain it fully ...*(Interruptions)*...

श्री सुरेन्द्र सिंह: राम अवधेश सिंह लगातार दो-तीन मिनट तक बोलते रहे।

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, I will not agree with Upendraji's statement that nobody anticipated that. I say this because for three minutes Mr. Ram Awadhesh Singh was speaking and he was standing and the President was keeping silent. The TV man was directing the camera towards the President only and it" was not directed towards Mr. Ram Awadhesh Singh *...(Interruptions)...* So, Upendraji cannot escape by saying that nobody anticipated that *...(Interruptions).*

SHRI KAPIL VERMA (Uttar Pradesh): Sir, I want the Minister to look into this thing *...(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Not everybody, Mr. Verma. Mr. Fotedar has put a question and he is answering. He is replying to that question and not everybody can get up and put questions now.

SHRI KAPIL VERMA: Sir, they always complained *...(Interruptions)...*

SHRI P. UPENDRA: No, Sir. I am not yielding *...(Interruptions)...* I am not yielding.

SHRI KAPIL VERMA: Sir, I want the Minister to look into this question because they always complained against us and now they are twisting the news about the Congress *...(Interruptions)...*

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: Congress(I)! *...(Interruptions)...*

SHRI P. UPENDRA: Sir, I did not anticipate any such incident. But if the honourable Memebrs, if any of the honourable Members, knew in advance, then it is for them to explain how they knew about it in advance. But there was no such order *...(Interruptions)...* Please let me complete.

SHRI V. GOPALSAMY (Tamil Nadu): Mr. Fotedar, now you cannot give orders to AIR and Doordarshan ... *(Interruptions)...*

SHRI P. UPENDRA: Moreover, Sir, at that time *...(Interruptions)...* Please let me complete *...(Interruptions)...* Let me complete first and then you can ask *...(Interruptions)...* Please sit down *...(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAl): All of you, please sit down. Let him reply first *...(Interruptions)...* All of you, please sit down.

SHRI P. UPENDRA: I was told that the agenda for that day was the President's Address only and, therefore, the cameras were directed towards the President and the podium *...(Interruptions)...*

SHRI MAKHAN LAL FOTEDAR: Mr. Vice-Chairman, Sir, *...(Interruptions)* ...

SHRI P. UPENDRA: No, I am not yielding. I am not yielding at all. Let me complete *...(Interruptions)...* You cannot break every sentence like this. Please sit down *...(Interruptions)...* Please let me complete. Otherwise, I won't reply. Please let me complete. You can ask later *...(Interruptions)...*

SHRI MAKHAN LAL FOTEDAR: I would not mention the name of that person *...(Interruptions)...*

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: You must know the conventions and rules of this House *...(Interruptions)...*

SHRI MAKHAN LAL FOTEDAR: I know the rules. Please shut up ...(//!-*terruptions)...* You shut up *...(Interruptions)...*

SHRI P. UPENDRA: Sir, what is this? *...(Interruptions)...* Let us not waste the time of the House now.

Sir, the *agenda* for tha' ay was the President's Address and it was, covered. That is all I can say. Also, this One thing which we will have to bear in mind

[Shri P. Upendra]

when we decide about telecasting the proceedings: what we allow. In this connection, I would read what the Speaker of the House of Commons of Canada has said about telecasting, about how telecasting is done there. I am not suggesting anything. I am just quoting:—

> "Telecasting of proceedings is done under fairly strictly controlled conditions and indecorous behaviour are allowed to be covered by the camera."

This is in Canada. I quote further:

> "The House has absolute control over the recordings through the Chair and the cameras can focus only on the Chair and the members recognised by the Chair. Some members **felt** that the parliamentary proceedings are deprived of the drama that make them exciting and should be available to the public. Others were more conservative and felt that there should further,' liberalisation."

This is what the Canadian Parliament has derided. Therefore, it is for the honourable Members to decide. I am not suggesting anything.

SHRIMATI MARGARET ALVA (Karnataka): Why do you go by the Canadian example?

SHRI VISHVJIT P. SINGH (Maharashtra): Sir, where is he quoting from?

SHRI P. UPENDRA: This is from the remarks of the Speaker of the House of Commons of Canada.

SHRI VISHVJIT P. SINGH: Where are you quoting from?

SHRI P. UPENDRA: From the "Hindu".

SHRI VISHVJIT p. SINGH: Of what daft?

SHRI P. UPENDRA: This is from the "Hindu", dated 21st December.

SHRI HANSRAJ BHARDWAJ: We are not bound by the conventions of other Parliaments, of the House of Commons of Canada.

SHRI P. **UPENDRA:** I never said that we are bound by it.

SHRI HANSRAJ BHARDWAJ (Madhya Pradesh): We are not bound by the conventions of other Houses. You must know that. Even in respect of the House of Commons, Mr. Upendra, we are bound by all our conventions. That you must know. As a Minister don't quote. Your TV is behaving much worse than.. .*(Interruptions)*

SHRI P. UPENDRA: Since we are having a discussion on the desirability of telecasting, I am posing certain things which arc already existing in other countries. You must keep all these things in mind.

Shri Kamal Morarka and Shri Hari Singh raised the question whether televising the proceedings will improve the quality of the proceedings or not. Here also I am reading from the same.

> "On the question of whether opportunity to be televised had changed the conduct of the members for the better or for the worse, opinion was divided. Some felt that members had become more conscious of television cameras and this affected not only their dress but their behaviour too. Such changes have not always been for the better. Members tended to grandstand and modified their approach for effect and away from real problems and issues. There was a tendency to speak to constituents and not to the House. Secondly, television had not improved the quality of the speeches in Parliament. However, Television is regarded as a education for the people and the country even though Parliament as such has lost some of its. prestige."

Therefore, Sir, these arc the issues involved. I hope that Parliament will take a correct decision, keeping all things in view.

SHRIMATI MARGARET ALVA: Are you aware that in the House of Commons they are having a beauty parlour attached to it?

SHRI P. UPENDRA: We will have it here for you also. *(Interruptions)* I don't think you need a parlour. You are beati-ful even without a parlour. *(Interruptions)*

डा० रत्नाकर पाण्डेय: उप सभाध्यक्ष जी, उस दिन राम अवधेश जी को दिखाया जाना बहुत उचित था। मंत्री महोदय, उस पर क्या कार्यवाही कर रहे हैं सदन जानना चाहता है? मंत्री ने गोलमोल जवाब दिया जिससे कुछ नहीं होता है। ...**(व्यवधान)**

SHRI P. UPENDRA: Sir, though it is not directly linked with the Resolution today, Mr. Ratnakar Pandey raised one or two issues about autonomy of the ' media. And I would react to that also, becasuc today I introduced the Bill in the Lok Sabha. Hon. Members must have seen the copies. Mr. Pandey said that the automony should be genuine. He also said that the Congress Party too wanted autonomy. If they wanted it, I do not know who prevented them from giving it.

डा० रत्नाकर पाण्डेय: जो कांग्रेस ने कर दिया है उसी को फैलाइये। कांग्रेस ने टेलीविज़न के लिए जितना किया है विश्व के जनतंत्र के इतिहास में किसी डेमोक्रेटिक पार्टी ने और किसी सरकार ने नहीं किया। उपेन्द्र जी, उसको आगे बढ़ाइये, मैं यह कह रहा था।

SHRI P. UPENDRA: Sir, the first act of this Government was to restore the credibility of the official media which has suffered very badly during the past five years. *(Interruptions)*

SHRI KAMAL MORARKA: To establish the credibility of any media we cannot destroy the credibility of Parliament. *(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): That will be done today and the whole agenda will be finished today. *(Interruptions)*

SHRI P. UPENDRA: I can assure Dr. Subramanian Swamy that we will take up every item on the agenda whatever may be the time. We have arranged for dinner for all the hon. Members. Therefore, whatever time they want to spend on all the items, they can do so. We will finish the agenda today.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY (Uttar Pradesh): The papers have not been circulated. So, we have to argue without reading the papers.

SHRI K.V. THANGKABALU (Tamil Nadu): Yesterday there was no food for the press and the staff people.

SHRI P. UPENDRA: It has been arranged for the staff also.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): It will be done. It will be done for all the staff.

SHRI P. UPENDRA: Sir, Dr. Pandey wanted to know whether there would be accountability for the news items or whether it would be left to the bureaucrats. When Dr. Pandey gets the copy if he has not already got it, he can take the trouble of reading it. A lot of provisions have been put there in order to make the Corporation accountable to the Parliament and the people of India. The Annual Report of the Corporation will be put before each House of Parliament and it will be discussed in the Parliament. More than that, the set-up, the Governing Body will not be packed with bureaucrats. It will contain eminent pub-licmcn. In addition, we arc providing for a Broadcasting Council as a watchdog, as a conscience keeper, of the Corporation which will go into the complaints regarding biased working or whether the Corporation is functioning according to the objectives for which it has been formed. Therefore, that Broadcasting Council also will be given some statutory powers The Corporation will be bound to accept the advice. If the Corporation does not accept the advice, they have to record in writing why they arc not accepting the Council's opinion. The re-

port of the Broadcasting Council will also be attached to the Annual Report of the Corporation and it will come before the Parliament.

SHRI N.K.P. SALVE: Sir, he is talking on the Bill. May I ask a very very important question? You want real and genuine autonomy to be brought about. That is one of the objectives of the Bill. We arc with you on the question of autonomy. But it should not be hogwashed. Clause 4 of the Bill provides that the superintendence and management of all the affairs of Akashvani and Doordarshan would be in the hands of the Board of Governors and the Chairman of the Board of Governors. The appointment of the Board of Governors is in the hands of a committee of three, the President, the Vice-President and solitary one Chairman of the Press Council. Are you sure that this kind of an appointment will be free from Government influence? Secondly, Clause 16 provides for investments into this Corporation by way of equity, by way of grant and by way of loan. That means that there is no financial independence. Since the appointment of the Board of Governors is in your hands and since there is no financial independence, where is the autonomy?

SHRI P. UPENDRA: Sir, it is very unfortunate that Mr. Salve has not understood.

SHRI CHATURANAN MISHRA (Bihar): Should we discuss the Bill before it has been introduced in the House?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): The Minister is reacting to it.

SHRI P. UPENDRA: I won't be going into many details. Since he has raised that point, I am answering. The Selection Committee will consist of the Chairman of the Rajya Sabha or the Vice-President of India who Las been elected by both the houses of Parliament. He will represent the Parliament of India because this Corporation will be accountable to the Parliament. We wanted a jurist who is also dealing with such complaints. Another person is the Chairman of the Press Council who is also a distinguished Supreme Court Judge. There is only one nominee of the President of India. This is the Selection Committee. You will have ample opportunity to discuss it. I will also discuss with you separately. But this is the procedure which is being adopted for this corporation only. But in the case of the Chief Justice of India, in the case of the Comptroller and Auditor-General, in the case of the Lok Ayukta, in the case of all the other constitutional entities, there is no such procedure of an independent selection. They have been selected by the Government, and the President is appointing them. When they can act independently in spite of being appointed through the Government, .cannot you trust this body to select good people for that? Therefore, I think, adequate safeguards are being provided there. I hope this will be satisfactory to the people.

SHRI N.K.P. SALVE: If you want smooth passage, kindly discuss with us.

SHRI P. UPENDRA: Sir, Vikalji mentioned..

डा० रत्नाकर पाण्डेय: इंडियन एक्सप्रेस में जो तालाबंदी हुई है, उसे समाप्त करेंगे कि नहीं आप?

SHRI P. UPENDRA: Sir, Vikalji has given a good suggestion about the Youth Parliament. And my Ministry is organising regularly the Youth Parliament. We will continue that not only at the college level, but we will also have it at the University level. We have decided that. And these teams are also being telecast on the Doordarshan also, and wc will give all encouragement to them. Mar-garetji knows all these things. And we will continue this arrangement so that our youth...

SHRIMATI MARGARET ALVA: 1 hope enough women will be there in the Committee.

SHRI P. UPENDRA: We will keep it in view. How can we ignore women? Sir,

I think, I haw satisfied all the doubts expressed by the hon. Members.

Sir, there is only one last thing, and Panditji has commented about the projection of the Prime Ministers and the Ministers. You have seen how less the present Prime Minister is seen on the TV. And you need not say. The people of India know by contrast. *(Interruptions)*

SHRI V. GOPALSAMY: Now the people are relieved very much.

डा० रत्नाकर पाण्डेय: मैंने तो प्रशंसा में कहा कि उपेन्द्र जी... **(व्यवधान)**...

SHRI P. UPENDRA: I am coming to that. I do not claim for my own publicity. I told them specifically. But I don't have such a beautiful face to be projected everyday. I do not clamour for that. But as a Minister ...*(Interruptions)* But as a Minister handling the Ministry, probably in the beginning they will show for a few days. That also we will curtail so that people will recognise this Minister handling this Ministry. You tolerate for a few days. I don't think it will be continued. *(Interruptions).* Therefore, I can assure the hon. Members that we will try to make the media function objectively, independently and in the interest of the nation and not in the interest of any party or any group of persons. And about this Resolution, as I mentioned earlier, I don't think there is any necessity to appoint a separate Committee for this purpose involving out siders in this. We have the expertise, and many hon. Members know this subject also. I think, this General Purpose Committee is competent to take a decision on this matter. Therefore, I would request the hon. Member to withdraw the Resolution and leave it to the General Purposes Committee to decide the matter...*(Interruptions).*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Dr. Bapu Kaldate to reply. *(Interruptions)* This is a Private Member's Resolution. The Government has given its reaction. Nothing else can be taken up now. Yes, Dr. Bapu Kaldate, you reply now. If you want to withdraw,

you can withdraw. You can say something.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Sir, at 50'clock, there is another item on the Agenda.

SHRI M.M. JACOB (Kerala): Sir, I want to make a submission.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Just wait. He has a right to reply. After the Information Minister let us hear him what he wants to say in his right to reply.

SHRI M.M. JACOB: Sir, the Leader of the House promised us that the Prime Minister will come here at 4 O'clock and continue his reply and we are waiting to see and hear him. I ask for a direction from the Chair. We are in the dark what is actually happening. We are in the dark. We want to know where is the Prime Minister. *(Interruptions).* Where is the Prime Minister? We want to know what has happened to the Prime Minister.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): I am informed by the Secretary-General that he is in the Lok Sabha and he is speaking there. *(Interrup-tions).*

AN HON. MEMBER: It is already 5 O'clock ...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAG ESH DESAI): It is not yet 5 O'clock The Private Member's business is up to 5 O'clock We shall see.

SHRI P. UPENDRA: Sir, yesterday the Leader of the Opposition demanded certain documents to be placed on the Table of the Lok Sabha. Now the Prime Minister is placing those documents there. Here also those documents will be placed on the Table so that it will help the Members to participate in the debate. He will be coming shortly.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Yes, Dr. Bapu Kaldate.

डा० बापू कालदाते: उपसभाध्यक्ष जी, जो संकल्प मैंने सदन के सामने रखा था, इसपर काफी अच्छी चर्चा

[डा० बापू कालदाते]

रही और यह संसद का सारा मानस एक खुली कार्यवाही लोगों के सामने आ जाए इसके संदर्भ में मैंने जो कुछ सुझाव दिए थे, उसके प्रति उन्होंने एक सकारात्मक रवैया, पाजिटिव एप्रोच मंत्री महोदय ने हम लोगों को दिखाया है और उन्होंने यह भी कहा है कि वे उसके लिए कि इस कार्यवाही को किस हद तक, कैसे लोगों के सामने रखें, इसके लिए वे तैयार भी हैं। उनके सामने जो समस्या है, मैं मानता हूं कि वह बहुत महत्वपूर्ण समस्या है कि संसद का अधिकार संसद की समितियों को होता है कि कहां तक हम इस बात को करें और इस दृष्टि से उन्होंने जो इसे मान लिया और इस सदन के संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते भी उन्होंने यह कहा है कि जो अपने सदन

The Resolution was, by leave, withdrawn.

फैसला करेगा उसके मुताबिक इस सदन की कार्यवाही दिखाने के लिए, जो हमारी संसद के सुझाव उनके सामने जाएंगे ...(व्यवधान)...

श्री राम अवधेश सिंह: यह सर्वोच्च संस्था है। ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): You cannot ask him, please.

डा० बापू कालदाते: क्योंकि मेरे ही एक दोस्त ने कहा कि इसके बारे में सोचना चाहिए। उनका कहना यह है कि सोच-विचार के लिए अपने पास एक स्वयं अपनी कमेटी है, सदनों की कमेटी है, वे ज्यादा गहराई से इसके बारे में सोच सकते हैं। इसके लिए मुझे लगता है कि जिस प्रकार से उन्होंने हमारी अपेक्षाओं के प्रति प्रतिसाद किया है, उसको ध्यान में रखते हुए और यह आग्रह करते हुए कि यह बिल आल पर्पज़ कमेटी में वह ले जाएं, मैं इस प्रस्ताव को वापस लेने की सदन से अनुमति मांगता हूं।

RESOLUTION RE. INDIA'S NUCLEAR PROGRAMME

श्री मीर्जा इर्शादबेग (गुजरात): मान्यवर, उपसभाध्यक्ष महोदय मैंने सदन के सामने जो यह संकल्प रखा है, इसको मैं प्रस्तावित करता हूं। मेरा प्रस्ताव यह है कि देश की सुरक्षा के लिए बढ़ते हुए खतरे, विशेष रूप से पाकिस्तान के शस्त्रोन्मुखी परमाणु कार्यक्रम को दृष्टि में रखते हुए यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह अपने परमाणु कार्यक्रम को अवरोधक वैकल्पिक रूप में अविलम्ब प्रयोग करे। ...(व्यवधान)...

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY (Uttar Pradesh): Sir, it is already 5 O'clock

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): No, one minute is still there.

श्री मीर्जा इर्शादबेग: मान्यवर उपसभाध्यक्ष महोदय, मैंने सदन के सामने यह जो प्रस्ताव रखा है, बड़ा गंभीर विषय है और इस वजह से...(व्यवधान)... मैं इसपर अपने विचारों को यहां पर प्रस्तुत करना चाहता हूं मुझे आशा थी कि चूंकि दूसरे नंबर पर मेरा प्रस्ताव है, तो अगर मंत्री जी यहां पर उपस्थित होते तो....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Mr. Irshadbaig, the time is over. It is already 5.00 P.M.

SHRI MIRZA IRSHADBAIG: Will it be continued?

5.00 P.M.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): No.

Now, the Prime Minister was to continue his reply on the Motion of Thanks. He is busy in the other House. Therefor, I adjourn the House lor fifteen minutes.

The House then adjourned at five of the clock.

The House reassembled at seventeen minutes past five of the clock, Mr. Chairman in the Chair.

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS—Contd.

MR- CHAIRMAN: Yes, Prime Minister.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Sir, I have a point of order. I want a clarification. The List of Business says that at 5.00 P.M. we wiil take up a discussion on Bofors. That has to be taken up now. I want to know whether again the discussion on Bofors is being suppressed.